

मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग

बी.ई / बी.टेक. पाठ्यक्रम के प्रवेश नियम
सत्र 2023-24

1	शासकीय (Govt.) क्षेत्र के लिये मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय, स्वशासी एवं स्ववित्तीय (विश्वविद्यालयीन) इंजीनियरिंग संस्थाओं में बी.ई./बी.टेक. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु	पृष्ठ 2-21
2	निजी (Private) क्षेत्र के लिये निजी व्यवसायिक शिक्षण संस्थाओं में बी.ई./ बी.टेक. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु	पृष्ठ 22-38
3	विभिन्न प्रारूप	पृष्ठ 39-52
4	ब्रांच में प्रवेश के लिये न्यूनतम अर्हता तालिका-1	पृष्ठ 53-55
5	संस्थावार उपलब्ध सीटों की संख्या (बी.ई./बी.टेक.)	पृष्ठ 56-73

संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल

मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय, स्वशासी एवं स्ववित्तीय संस्थाओं (विश्वविद्यालयीन) में प्रवेश के लिये सत्र 2023-24 प्रवेश नियम

मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय, स्वशासी एवं स्ववित्तीय (विश्वविद्यालयीन) इंजीनियरिंग संस्थाओं में बी.ई./बी.टेक. पाठ्यक्रम में सत्र 2023-24 से प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये प्रवेश नियम प्रभावशील रहेंगे तथापि नीतिगत परिवर्तन की दशा में ही नियमों में आवश्यक संशोधन उपरान्त शासन अनुमति आवश्यक होगी:-

1.1 सामान्य

ये नियम मध्य प्रदेश शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय, स्वशासी एवं स्ववित्तीय इंजीनियरिंग संस्थाओं बी.ई./बी.टेक. के प्रथम वर्ष में प्रवेश के नियम कहलाएंगे।

1.2 परिभाषायें :

इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो : -

1. "AICTE" से अभिप्रेत है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली;
2. "संयुक्त प्रवेश परीक्षा" से अभिप्रेत है राज्य शासन द्वारा अधिकृत एजेंसी द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा यथा जेईई (मेन);
3. "पाठ्यक्रम" से अभिप्रेत हैं कोई पाठ्यक्रम जिसका नाम पद्वति समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जा चुकी हैं तथा जिसके लिये किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड या संस्था द्वारा अलग से डिग्री /डिप्लोमा प्रदान किया जाता हैं (जैसे बी.ई./बी.टेक. इलेक्ट्रिकल, बी.ई./बी.टेक. मैकेनिकल, एमसीए, एमबीए, डी.फार्मा, आदि);
4. "व्यावसायिक संस्थान" से अभिप्रेत है ऐसी संस्थायें जो इंजीनियरिंग, टेक्नालॉजी पाठ्यक्रमों को संचालित करती हैं;
5. "एनटीए" से अभिप्रेत है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) नोएडा;
6. "सी.टी.ई." से अभिप्रेत है कमिशनर टेक्नीकल एजुकेशन, मध्यप्रदेश;
7. "रा.गां.प्रौ.वि" से अभिप्रेत है राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल से है;
8. "प्राचार्य" से अभिप्रेत है संस्था प्रमुख;
9. "सक्षम प्राधिकारी (सा.प्रा.)" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित सक्षम प्राधिकारी;
10. "मध्यप्रदेश (म.प्र.)" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य जो 01.11.2000 को अस्तित्व में आया है;

11. "एन.आर.आई." से अभिप्रेत है अनिवासी भारतीय का वही अर्थ होगा जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 115-ग के खण्ड (ड.) में उसके लिये दिया गया है;
12. "श्रेणी" से अभिप्रेत है इन चार श्रेणी में से एक उदाहरणार्थ अनारक्षित (UR), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (OBC);
13. "वर्ग" से अभिप्रेत है इन चारों वर्गों में कोई भी एक उदाहरणार्थ सैनिक (S), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (FF), टेकनिकल स्ट्रीम (TS), बिना वर्ग (X);
14. "OP" सीटों से अभिप्रेत है महिला या पुरुष अभ्यर्थी;
15. "F" सीटों से अभिप्रेत है महिला अभ्यर्थी;
16. "मध्यप्रदेश सीटों" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य के निवासियों के लिये आरक्षित सीट;
17. "TFW" से तात्पर्य "शिक्षण शुल्क छूट योजना सीट" है।
18. "EWS" से तात्पर्य "मध्यप्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी" है।
19. "AI" सीटों से अभिप्रेत है आल इंडिया सीट;

1.3 लागू होना:-

ये नियम मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय, स्वशासी, स्ववित्तीय एवं विश्वविद्यालयीन संस्थाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश के नियम कहलायेंगे।

1.4 प्रवेश नियम:-

समस्त संस्थाओं में प्रवेश की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी-

1.4.1 स्थानों की उपलब्धता

बी.ई./बी.टेक. संस्थाओं में उपलब्ध सीटें:-

स.क्र.	संस्था का प्रकार	प्रवेश क्षमता का प्रतिशत
1	मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्वशासी घोषित एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय। स्वशासी, स्ववित्तीय एवं विश्वविद्यालयीन संस्थाएँ	90 प्रतिशत मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिये सीटें 5 प्रतिशत अनिवासी भारतीय सीटें 5 प्रतिशत आल इंडिया सीटें (अनिवासी भारतीय सीटें एवं आल इंडिया सीटें रिक्त रहने पर म.प्र. सीटों में परिवर्तित)
2	University Institute of Technology RGPV, Shivpuri राजीव गाँधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, भोपाल की घटक संस्था	85 प्रतिशत मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिये सीटें 5 प्रतिशत अनिवासी भारतीय सीटें 5 प्रतिशत आल इंडिया सीटें 5 प्रतिशत सीटें एनटीपीसी के कर्मचारी और उनके वार्डस् (Employee and their Wards) के लिये आरक्षित। (उक्त सीटें रिक्त रहने पर म.प्र. सीटों में परिवर्तित)

नोट:-

- (क) विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में उपलब्ध स्थानों की अद्यतन जानकारी परामर्श (Counselling) संचालित करने वाले सक्षम प्राधिकारी की वेबसाइट <https://dte.mponline.gov.in> पर उपलब्ध कराई जावेगी।
- (ख) यदि किसी नई संस्था को अनुमति प्रदान की जाती है, या किसी विद्यमान संस्था में नवीन ब्रांच या विद्यमान ब्रांच की प्रवेश क्षमता में परिवर्तन की जाने की अनुज्ञा उस वर्ष समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है, तो उसे परामर्श (काउंसलिंग) में समाविष्ट किया जा सकेगा, बशर्ते कि संस्था ने संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता तथा राज्य सरकार से अनुज्ञा प्राप्त कर ली हो।
- (ख-1) विद्यमान संस्था/पाठ्यक्रमों की निरंतरता अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली एवं संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्रदान नहीं की जाती है तो ऐसी संस्थाओं को काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जायेगा।

1.4.2 स्थानों का आवंटन/आरक्षण

1.4.2.1 मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिये सीटें

मध्य प्रदेश शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों, स्वशासी, स्ववित्तीय संस्थाओं, एवं विश्वविद्यालयीन की बी.ई./बी.टेक. संस्थाओं में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणियों के लिए क्रमशः 16, 20 तथा 14 प्रतिशत सीटों का आरक्षण रहेगा। प्रवेश परीक्षा के आधार पर यदि द्वितीय चरण की काउंसिलिंग आयोजित की जाती है तब प्रथम चरण के उपरान्त विभिन्न श्रेणियों में रिक्त स्थानों को नियमानुसार पुनः परिवर्तित (Redistribution) किया जावेगा।

टिप्पणी:-

(अ) विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में से उम्मीदवार केवल एक ही श्रेणी में आरक्षण का दावा कर सकता है।

(ब) जिस श्रेणी में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा हो, उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण पत्र इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित प्रारूप में परामर्श (Counselling) के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(क) मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) तथा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी:-

ऐसा उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) अथवा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, उसे इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित प्रारूप-1 में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। (मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ-7-2/96/अ.प्र./एक, दिनांक 01 अगस्त, 1996 तथा शासन द्वारा इस संबंध में जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश देखें)

(ख) मध्य प्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (OBC) श्रेणी:-

ऐसा उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, उसे इस प्रवेश नियम पुस्तिका में दिये गए निर्धारित प्रारूप-2 में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यदि सक्षम

प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र 30 अप्रैल 2020 के पूर्व जारी किया गया हो तो उम्मीदवार को परिवार की कुल वार्षिक आय का नवीनतम आय प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो अथवा आय प्रमाण पत्र संबंधी मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक, दिनांक 25/09/2014 को जारी निर्देशानुसार आय बाबत स्व प्रमाणित घोषणा-पत्र प्रारूप-10 में परामर्श के समय प्रस्तुत करना होगा। (देखें मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ-7-2/96/ आ.प्र./एक, दिनांक 12 मार्च, 1997 एवं आदेश क्रमांक एफ-7-16-2000/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 06.07.2000 तथा शासन द्वारा क्रीमीलेयर के संबंध जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश)

(ग) जम्मू एवं काश्मीर राज्य के विस्थापितों की सीटें (J & K Migrants Seats) :-

समस्त स्वशासी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के प्रत्येक संकाय (ब्रांच) में स्वीकृत प्रवेश क्षमता की एक सीट कश्मीरी विस्थापित परिवार के पुत्र/पुत्रियों के लिए आरक्षित रहेगी। अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थानों तथा स्ववित्तीय संस्थानों में एक-एक सीट प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त अधिसंख्या के (over and above) आधार पर उपलब्ध है। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवार को निर्धारित प्रारूप-7 में जम्मू एवं कश्मीर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बी.ई./बी.टेक. पाठ्यक्रम में प्रवेश जेईई (मेन)-2023 प्रवेश परीक्षा की योग्यताक्रम (मेरिट) के आधार पर किये जायेंगे।

इसी वर्ग के अंतर्गत मध्यप्रदेश सेवा के ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को, जिनकी पदस्थापना जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण में रही हो और जिनके पुत्र/पुत्रियों ने जम्मू एवं कश्मीर राज्य से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, को भी आरक्षित स्थानों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता होगी। ऐसे उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप-8 में प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। पाठ्यक्रम में प्रवेश जेईई (मेन)-2023 प्रवेश परीक्षा की योग्यताक्रम (मेरिट) के आधार पर किये जायेंगे।

(घ) जम्मू एवं कश्मीर राज्य के निवासियों की सीटें (J&K Residents Seats) :-

मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं स्ववित्तीय संस्थाओं में आल इण्डिया सीटों में से एक-एक सीट प्रत्येक संस्थाओं में आरक्षित की गई हैं।

(ड.) शिक्षण शुल्क छूट योजना के अंतर्गत उपलब्ध सीटें (Tuition Fee Waiver Scheme):-

ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा शासित समस्त संस्थाओं में तीन/चार वर्षीय, डिग्री, डिप्लोमा एवं पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण शुल्क में छूट की योजना ऐसी संस्थाओं में जिनमें गतवर्ष प्रवेश क्षमता के न्यूनतम 50 प्रतिशत प्रवेश हुए हों उन संस्थाओं में अनिवार्य रूप से लागू होगी जिसमें प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत स्थान अधिसंख्य रूप से उपलब्ध होंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिनके अभिभावकों की **वार्षिक आय रुपये 8.00 लाख** से अधिक न हो, इन स्थानों के लिए प्रवेश हेतु पात्र होंगे। शिक्षण शुल्क में छूट की योजना के अंतर्गत रियायत केवल शिक्षण शुल्क की राशि जैसा कि प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति द्वारा निर्धारित की गई हो, तक सीमित होगी और शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य समस्त शुल्क अभ्यर्थियों द्वारा वहन किए जाएंगे। इस श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर, ये स्थान अन्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरे जाएंगे। इस श्रेणी के अंतर्गत प्रवेशित अभ्यर्थी को सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में अपनी ब्रांच या संस्था परिवर्तन का अधिकार नहीं होगा। इन स्थानों पर प्रवेश के लिए केन्द्रीयकृत परामर्श (काउंसलिंग) की जावेगी। इन स्थानों के लिए परामर्श (काउंसलिंग) एवं प्रवेश प्रक्रिया उसी प्रकार से होगी, जैसी कि नियमित प्रवेश के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित की जाए। **इस योजना के अधीन केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थी ही प्रवेश के पात्र होंगे।**

(ण) क्षैतिजीय आरक्षण (Horizontal Reservation) :

शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में सभी श्रेणियों में सैनिक (S), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी

(FF), तथा टेकनिकल स्ट्रीम (TS) वर्ग के उम्मीदवारों हेतु क्षैतिजीय आरक्षण रहेगा। जबकि विश्वविद्यालयीन संस्था में केवल महिला एवं विकलांग उम्मीदवारों के लिए प्रत्येक श्रेणी में स्थान आरक्षित रहेंगे।

(अ) बी.ई./बी.टेक. पाठ्यक्रम में अनारक्षित (UR), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), तथा अन्य पिछड़ी जाति (OBC) (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के अंतर्गत सैनिक (S), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (FF), विकलांग (H) तथा टेकनिकल स्ट्रीम (TS) वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्षैतिजीय आरक्षण क्रमशः 5, 3, 3, 1 प्रतिशत रहेगा।

सैनिक वर्ग (S):-

सैनिक वर्ग में प्रतिरक्षा कर्मचारियों के रूप में सेवा कर चुके भूतपूर्व सैनिक, कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी तथा ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो चुकी हो या जो सेवा के दौरान स्थाई रूप से विकलांग हो गये हों। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु दावा करने वाले उम्मीदवार को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि, वह मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित भूतपूर्व सैनिक का पुत्र/पुत्री है। भूतपूर्व सैनिक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो भारत सरकार रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई, भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा के अंतर्गत आता है।

भूतपूर्व सैनिक के पुत्र/पुत्री होने के फलस्वरूप प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को अपने पिता/माता का भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण-पत्र इस नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित **प्रारूप-3 भाग(अ)** में तथा अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण-पत्र **प्रारूप-4** में, संबंधित जिले के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (पूर्व का पदनाम सचिव जिला सैनिक बोर्ड) से प्राप्त कर प्रस्तुत करने होंगे।

अथवा

वह मध्यप्रदेश के बाहर पदस्थ ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी का/की पुत्र/पुत्री है, जो मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी है। (प्रमाण पत्र **प्रारूप-3 भाग(ब)** में) उम्मीदवार को अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी होने संबंधी प्रमाण-पत्र **प्रारूप-6** में प्रस्तुत करना होगा।

अथवा

वह 1 जनवरी, 2023 को अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक मध्यप्रदेश में पदस्थ प्रतिरक्षा कर्मचारी का/की पुत्र/पुत्री है। (प्रमाण पत्र प्रारूप-3 भाग(ब) में)

टिप्पणी :-

सैनिक वर्ग के अंतर्गत किसी उम्मीदवार की पात्रता के संबंध में किसी संदेह अथवा विवाद की स्थिति में संचालक, सैनिक कल्याण मध्यप्रदेश द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग (FF) :-

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उन पुत्रों/पुत्रियों एवं पौत्रों/पौत्रियों/नातियों/नातिनों को प्रवेश की पात्रता होगी जो नियम पुस्तिका के अनुसार मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी होने की शर्त पूर्ण करते हैं। इस नियम के प्रयोजन के लिये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से तात्पर्य यह है कि उसका नाम मध्यप्रदेश के संबंधित जिले के कलेक्टर में रखी हुई सूची में पंजीकृत है।

टिप्पणी: स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु इच्छुक उम्मीदवारों को मध्यप्रदेश के संबंधित जिले के कलेक्टर से प्रारूप-5 में प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। केवल कलेक्टर अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र ही उम्मीदवार का इस वर्ग का होने संबंधी एक मात्र वैध प्रमाण पत्र होगा।

विकलांग उम्मीदवारों की सीटें (Physically Handicapped Candidates seats) :-

ऐसे विकलांग उम्मीदवार जिनका निःशक्तता 40 प्रतिशत या 40 से अधिक है एवं जो नियम पुस्तिका के अनुसार मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने की शर्त को पूर्ण करते हों, के लिए ब्रांचवार प्रवेश क्षमता में 3 प्रतिशत सीटों का क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण समस्त श्रेणियों यथा अनारक्षित (UR), अनुसूचित जाति (SC),

अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (OBC) में उपलब्ध रहेगा।

टिप्पणी:-

1. यदि क्षैतिजीय आरक्षण के विरुद्ध विकलांग उम्मीदवार के अनुपलब्ध होने पर सीट रिक्त रहती है तो ऐसी सीटों को उसी श्रेणी के Nil वर्ग (बिना वर्ग, x) में परिवर्तन किया जा सकेगा।
2. इन सीटों के विरुद्ध प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को **निम्नांकित दोनों प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से काउंसिलिंग के दौरान ही प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा-**

(अ) जिला चिकित्सा मंडल द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र;

तथा

(ब) अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, विकलांगों हेतु व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र (Superintendent, Vocational Rehabilitation Centre for Physically Handicapped, Govt. of India, Ministry of Labour) **नेपियर टाउन, जबलपुर** द्वारा जारी पाठ्यक्रम पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होंगे जिसमें पाठ्यक्रम एवं संकाय (ब्रांच) का उल्लेख होना अनिवार्य है।

टेक्निकल स्ट्रीम (TS) वर्ग:-

टेक्निकल स्ट्रीम वर्ग में मध्य प्रदेश के मूल निवासी उम्मीदवारों को बी.ई./बी.टेक. पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता होंगी जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 प्रणाली की बारहवी कक्षा की परीक्षा भौतिकी तथा गणित मुख्य विषय के रूप में तथा रसायन/बायोटेक्नालॉजी/बायोलॉजी/तकनीकी व्यावसायिक में से एक विषय के साथ उत्तीर्ण के साथ-साथ मध्यप्रदेश स्थित विश्वविद्यालय से किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच में त्रिवर्षीय डिप्लोमा (Diploma) उत्तीर्ण किया हो।

एन.सी.सी. “बी” प्रमाण पत्र उत्तीर्ण उम्मीदवारों हेतु आरक्षण :-

मध्यप्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, के आदेश क्रमांक 758/2730/2009/42-2 भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2011 के द्वारा मध्यप्रदेश के एन.सी.सी. के “बी” प्रमाण पत्र

उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए शासकीय/अनुदान प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में स्वीकृत प्रवेश क्षमता के दो प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।

बिना वर्ग (Nil Class) (X) :-

जो उम्मीदवार उपरोक्त वर्गों में से किसी भी एक वर्ग के अंतर्गत प्रवेश का उम्मीदवार नहीं होगा, उसे उसकी संबंधित श्रेणी के अंतर्गत "बिना वर्ग" (X) का उम्मीदवार माना जावेगा।

(ब) मध्यप्रदेश की महिला (F) उम्मीदवारों हेतु आरक्षण

बी.ई./बी.टेक. पाठ्यक्रम में प्रत्येक श्रेणी एवं वर्ग के अंतर्गत मध्यप्रदेश की महिला उम्मीदवारों हेतु 30 प्रतिशत सीटों का "कम्पार्टमेंटलाइज्ड" आरक्षण उपलब्ध रहेगा। ऐसी सीटों को (F) दर्शाया जावेगा।

महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षण यथासंभव संस्थावार एवं ब्रांचवार होगा।

टिप्पणी:

किसी वर्ग (Class) विशेष में महिला उम्मीदवार उपलब्ध न होने की दशा में रिक्त सीटें उसी वर्ग के ओपन (OP) उम्मीदवारों से भरी जावेगी। वर्ग विशेष में ओपन उम्मीदवार भी उपलब्ध न होने की दशा में रिक्त सीटें उसी श्रेणी (Category) के बिना वर्ग (X/OP) उम्मीदवारों के द्वारा भरी जावेंगी।

(त) मध्यप्रदेश राज्य शासन के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी तथा गरीबी रेखा के नीचे के स्तर के व्यक्तियों के पुत्र/पुत्रियों को अतिरिक्त सुविधा:-

बी.ई./बी.टेक. पाठ्यक्रम हेतु यदि किसी श्रेणी की योग्यताक्रम (मेरिट) सूची के ऐसे उम्मीदवार, जो मध्यप्रदेश राज्य शासन के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी अथवा गरीबी रेखा के नीचे के स्तर के व्यक्तियों के पुत्र/पुत्री हों, तथा किसी संस्था विशेष में प्रवेश लेने के इच्छुक हों, तो उन्हें काउंसलिंग प्रक्रिया में उनके वर्तमान निवास स्थान के राजस्व संभाग में स्थित मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी अनुदान प्राप्त अशासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं स्वशासी एवं स्ववित्तीय संस्था का आवंटन किया जा सकेगा परंतु उन्हें ब्रांच का आवंटन प्रवेशित

संस्था में उनकी मेरिट के आधार पर किया जावेगा। इन उम्मीदवारों के लिये इस प्रकार इच्छित संस्था का चुनाव मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों, एवं स्वशासी एवं स्ववित्तीय संस्थाओं में पूरी स्वीकृत प्रवेश क्षमता तक उपलब्ध रहेगा। ऐसे उम्मीदवारों को उनके वर्तमान निवास स्थान के राजस्व संभाग के अतिरिक्त अन्य स्थानों में स्थित संस्थाओं में उपरोक्त सुविधा का लाभ प्राप्त नहीं होगा। चम्बल तथा होशंगाबाद सम्भाग में शासकीय अथवा अनुदान प्राप्त संस्थाएँ नहीं होने के कारण इन सम्भागों के निवासरत् उम्मीदवार क्रमशः एम.आई.टी.एस. ग्वालियर तथा यू.आई.टी. आर.जी.पी.व्ही, भोपाल में प्रवेश ले सकते हैं ।

टिप्पणी: “गरीबी रेखा” के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के पुत्र/पुत्रियों को इस आशय का प्रमाण-पत्र कि उनके पिता/माता गरीबी रेखा के नीचे के जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। मध्यप्रदेश राज्य शासन के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को अपने पिता/माता के नियोक्ता से इस आशय का प्रमाण पत्र कि उनके पिता/माता राज्य शासन के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, प्राप्त कर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

1.4.2.2 एन.आर.आई (NRI) सीटें :

समस्त संस्थाओं में जिनमें एआईसीटीई द्वारा प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत सीटें अनिवासी भारतीय उम्मीदवारों को प्रवेश देने के लिये अनुमति दी जावेगी उन पर प्रवेश मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों के प्रवेश से संबंधित नियम “प्रवेश” (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में अनिवासी भारतीय को आरक्षण) विनियम, 2011” दिनांक 19 मई , 2011 के अनुसार दिये जावेंगे।

1.4.2.3 आल इंडिया (AI) सीटें:

समस्त संस्थाओं में एआईसीटीई द्वारा स्वीकृत प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत सीटों पर आल इंडिया उम्मीदवारों को प्रवेश देने के लिये अनुमति दी जावेगी।

1.4.2.4 मध्यप्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) हेतु आरक्षण:-

मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय, स्वशासी एवं स्ववित्तीय (विश्वविद्यालयीन) इंजीनियरिंग संस्थाओं में प्रवेश हेतु म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-07-11/2019/आ.प्र./ एक, भोपाल, दिनांक 02 जुलाई 2019 के अनुसार स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 10 प्रतिशत स्थान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) अभ्यर्थियों हेतु उपलब्ध होंगे। प्रवेश केवल मध्यप्रदेश के मूल-निवासी अभ्यर्थियों, जिनके परिवार की समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय रुपये 8.00 (आठ) लाख से अधिक ना हो, को दिया जावेगा। ऐसा उम्मीदवार जो मध्यप्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, इस नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप-11 में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। (मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग एफ-07-11/2019/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 02 जुलाई 2019 तथा शासन द्वारा इस संबंध में जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश देखें)

1.4.2.5 इंजीनियरिंग महाविद्यालय, शिवपुरी में एनटीपीसी (NTPC) के कर्मचारी और उनके वार्ड्स (Employee and their Wards) के लिये आरक्षित सीटें :-

म.प्र. शासन तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के आदेश क्रमांक एफ-05-33/2013/42-1 भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2021 के परिपालन में राजीव गाँधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, भोपाल की घटक संस्था इंजीनियरिंग महाविद्यालय, शिवपुरी में 05 (पाँच) प्रतिशत सीटें एनटीपीसी के कर्मचारी और उनके वार्ड्स (Employee and their Wards) के लिये आरक्षित रहेगी। इन सीटों पर प्रवेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार की जावेगी।

1.5 प्रवेश हेतु पात्रता :

- 1) जो भारत का नागरिक हो
- 2) शैक्षणिक अर्हता

बी.ई./बी.टेक. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवार को निम्नलिखित में से कोई भी एक परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है:-

माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 प्रणाली की बारहवीं कक्षा की परीक्षा भौतिक / गणित / रसायन / कंप्यूटर साइंस / इलेक्ट्रॉनिक्स / इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी/ बायोलॉजी/ इन्फार्मेटिक्स प्रैक्टिस / बायोटेक्नालॉजी / टेक्नीकल वोकेशनल सब्जेक्ट / एग्रीकल्चर / इंजीनियरिंग ग्राफिक्स / बिजनेस स्टडीज / एन्टरप्रोन्यरशिप विषयों के साथ तालिका-1 में दर्शाये अनुसार सम्मिलित रूप से उत्तीर्ण करना होगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिये एग्रीकल्चर स्ट्रीम (कृषि से संबंधित तीन मुख्य विषयों के साथ) से 10+2 प्रणाली की बारहवीं परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी प्रवेश के लिये पात्र होंगे।

सम्मिलित रूप से अर्हता के लिये तालिका-1 के अनुसार आवश्यक तीन विषयों में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है {मध्यप्रदेश के मूलनिवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा}

Passed 10+2 examination with Physics/Mathematics/Chemistry/Computer Science/Electronics/Information Technology/ Biology /Informatics Practices/ Biotechnology/Technical vocational Subject/Agriculture/Engineering Graphics/ Business Studies/Entrepreneurship as per table 1.

In addition to above, Candidates who have passed 12th examination of 10+2 scheme in Agriculture stream (with three main agriculture stream subjects) are also eligible for admission only in Agriculture Engineering Branch.

Obtained at least 45% marks in required three main subjects as per table-1 (40% marks in case of candidates belonging to SC/ST/OBC (excluding creamy layer) category of Madhya Pradesh), in the above subjects taken together.

नोट:-

1. ऐसे उम्मीदवार भी प्रवेश के लिये पात्र होंगे जिन्होंने अर्हकारी परीक्षा कृपांक (ग्रेस) के साथ उत्तीर्ण की होगी किन्तु उपरोक्तानुसार न्यूनतम प्रतिशत का बंधन लागू होगा जिसमें ग्रेस अंक नहीं जोड़े जायेंगे।
2. ऐसे समस्त उम्मीदवार जिनकी अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची ग्रेडिंग सिस्टम पर आधारित है, अंकसूची में दिए परिवर्तन सूत्र अनुसार ग्रेड को अंकों में परिवर्तित कर प्रस्तुत करना होगा।

3. जेईई (मेन)-2023 की प्रवेश परीक्षा में ऐसे समस्त उम्मीदवार जो अर्हकारी परीक्षा में सत्र 2022-23 में सम्मिलित हो रहे हैं, भाग ले सकते हैं परंतु उन्हें परामर्श के समय अर्हकारी परीक्षा की मूल अंक सूची प्रस्तुत करनी होगी।

3) मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकतायें (M.P. Domicile Requirements)

मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी संस्थाओं एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं की सीटें तथा स्वशासी एवं स्ववित्तीय (विश्वविद्यालयीन) संस्थाओं इंजीनियरिंग महाविद्यालयों की बी.ई./बी.टेक. की सीटों के विरुद्ध केवल ऐसे उम्मीदवारों को (सैनिक वर्ग के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों तथा जम्मू काश्मीर राज्य के विस्थापित वर्ग के उम्मीदवारों को छोड़कर) प्रवेश हेतु चयन के लिये पात्रता होगी:-

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक दिनांक 29 जून, 2013 के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले के लिये सक्षम प्राधिकारी (नायब तहसीलदार/तहसीलदार) द्वारा जारी स्थानीय प्रमाण-पत्र **प्रारूप-6** अनुसार अथवा स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र संबंधी मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक, दिनांक 25/09/2014 को जारी निर्देशानुसार स्थानीय निवासी हेतु स्व प्रमाणित घोषणा-पत्र **प्रारूप-6(अ)** में प्रस्तुत करना आवश्यक है

1.6 प्रवेश की रीति

नेशनल टेस्टिंग एजेन्सी (NTA) नोएडा द्वारा आयोजित की जाने वाली जेईई (मेन)-2023 की घोषित ऑल इंडिया रैंक के आधार पर बी.ई./बी.टेक. में प्रवेश दिये जायेंगे। {एनटीए द्वारा जेईई (मेन) की घोषित ऑल इंडिया रैंक केवल धनात्मक समग्र अंक (positive composite score) प्राप्त उम्मीदवार ही पात्र होंगे।}

1.7 प्रवेश की प्रक्रिया

1.7.1 ऑन लाईन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग प्रवेश प्रक्रिया

(Online Offcampus Admission Procedure):

राज्य सरकार द्वारा किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए आन लाईन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग (परामर्श) संचालित करने का विनिश्चय किए जाने की दशा में राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए घोषित सक्षम प्राधिकारी, विस्तृत कार्यक्रम को अंतिम रूप देगा और प्रवेश की प्रक्रिया तथा विभिन्न अंतिम तिथियां (कट ऑफ

डेट्स) घोषित करते हुए वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा। ऑनलाइन ऑफ कैम्पस काउंसिलिंग की प्रवेश प्रक्रिया मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित प्रवेश नियम 2008 यथा संशोधित) के अनुसार रहेगी।

1.7.2 अनिवासी भारतीयों के स्थानों के विरुद्ध प्रवेश की प्रक्रिया:-

1.7.2.1 समस्त संस्थाओं में जिनमें एआईसीटीई द्वारा प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत सीटें अनिवासी भारतीय उम्मीदवारों को प्रवेश देने के लिये अनुमति दी जावेगी उन पर प्रवेश मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों के प्रवेश से संबंधित नियम “प्रवेश (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में अनिवासी भारतीय को आरक्षण) विनियम, 2011” दिनांक 19 मई, 2011 के अनुसार दिये जावेंगे।

1.7.2.2 अनिवासी भारतीय के रिक्त स्थानों का संपरिवर्तन -

अनिवासी भारतीयों के रिक्त स्थान, जैसा कि अनिवासी भारतीय के न भरे गये स्थानों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश के मूलनिवासियों के स्थानों में संविलीन कर दिए जाएंगे तथा इन स्थानों की पूर्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा, मध्यप्रदेश के मूलनिवासियों के स्थानों की प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार की जाएंगी।

1.7.3 विदेशी नागरिकों / भारतीय मूल के नागरिकों (पी.आई.ओ.)/खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीय मूल के नागरिकों के बालकों (सी.आई.डब्ल्यू.जी.सी.) का प्रवेश-

- (एक) ऐसी संस्थायें जिन्हें एआईसीटीई के अनुमोदन में विदेशी नागरिकों / भारतीय मूल के नागरिकों (पी.आई.ओ.)/सीआईडब्ल्यूजीसी के अभ्यर्थियों की सीटों के लिये भी अनुमोदन प्रदान किया जाता है तब ऐसी संस्थाओं को स्वीकृत प्रवेश क्षमता के अधिकतम 15 प्रतिशत (अधिसंख्य) स्थान पर प्रवेश देने की पात्रता होगी। ऐसे स्थान सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित प्रक्रियानुसार भरे जा सकेंगे।
- (दो) संबंधित संस्था के लिये यह अनिवार्य होगा कि अभ्यर्थियों की वास्तविकताओं तथा उनके अभिलेखों को सुनिश्चित करें तथा उन्हें सक्षम प्राधिकारी, शासन, एआईसीटीई को कोई जानकारी या वांछित प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराएं।

1.8 प्रवेश हेतु चयन पद्धति

1.8.1 बी.ई./बी.टेक. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवारों के चयन के लिये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) नोएडा द्वारा संचालित प्रवेश परीक्षा जेईई (मेन)-2023 की मेरिट के आधार पर प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी।

1.8.2 प्रवेश परीक्षा (जेईई (मेन)-2023) के अंकों में अधिभार

राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले मध्यप्रदेश के छात्र-छात्राओं को प्रारूप-9 में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) नोएडा द्वारा आयोजित जेईई (मेन)-2023 प्रवेश परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर मेरिट सूची में स्थान निर्धारित किया जायेगा। उम्मीदवार को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर स्वर्ण पदक प्राप्त करने के विषय में निर्धारित प्रारूप-9 में प्रमाण-पत्र संचालक, खेल एवं युवक कल्याण विभाग, म0प्र0 शासन से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। ऐसे उम्मीदवार जो 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार लिए हैं, मेरिट सूची में समान अंक प्राप्त उस उम्मीदवार से नीचे रखा जाएगा जिसे ऐसा अधिभार प्राप्त नहीं है।

1.8.3 योग्यता क्रम सूचियां

1.8.3.1 जेईई (मेन)-2023 में ऑलइंडिया रैंक के आधार पर बी.ई./बी.टेक. पाठ्यक्रम हेतु नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) नोएडा द्वारा एकीकृत योग्यताक्रम सूचियाँ (Common Merit Lists) उपलब्ध कराई जावेगी।

1.8.3.2 बी.ई.बी.टेक. पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश हेतु पात्रता रखने वाले उम्मीदवारों को संस्था एवं इंजीनियरिंग ब्रांच का आवंटन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) नोएडा द्वारा तैयार की गई, जेईई (मेन)-2023 की योग्यताक्रम सूचियों (Common Merit) मेरिट के आधार पर किया जाएगा।

1.8.3.3 समान कुल अंक प्राप्त परीक्षार्थियों की पारस्परिक प्रावीण्यता (Inter-se Merit)

समान कुल अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की पारस्परिक प्रावीण्यता (Inter-se Merit) वही मान्य होगी जैसा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) नोएडा द्वारा आयोजित जेईई (मेन)-2023 प्रवेश परीक्षा नियमानुसार निर्धारित कर मेरिट सूची प्रदान की गई हो।

अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट हेतु अर्हकारी परीक्षा में समान अंक प्राप्त होने पर अर्हता के लिये आवश्यक 03 विषयों में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को योग्यताक्रम सूची में ऊपर रखा जावेगा। अर्हता के लिये आवश्यक 03 विषयों में भी समान अंक प्राप्त होने पर अधिक आयु वाले उम्मीदवार को योग्यताक्रम सूची में ऊपर रखा जावेगा। तत्पश्चात् आयु में भी समानता होने पर उम्मीदवार के नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर योग्यताक्रम सूची में रखा जावेगा।

1.8.4 प्रवेश प्रक्रिया की सामान्य जानकारी:

1.8.4.1 मध्यप्रदेश के मूल निवासी की सीटों, ऑल इंडिया सीटों, शिक्षण शुल्क छूट योजना सीटों, जम्मू कश्मीर विस्थापित एवं जम्मू कश्मीर निवासी सीटों के लिये बी.ई./बी.टेक पाठ्यक्रम में प्रवेश केवल नेशनल टेस्टिंग एजेन्सी (NTA) नोएडा द्वारा आयोजित जेईई (मेन)-2023 प्रवेश परीक्षा नियम अनुसार तैयार की गई योग्यताक्रम सूचियों के अनुसार दिये जा सकेंगे।

1.8.4.2 शिक्षण शुल्क छूट योजना के अंतर्गत उपलब्ध सीटों पर प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवारों को नेशनल टेस्टिंग एजेन्सी (NTA) नोएडा द्वारा जेईई (मेन)-2023 के अनुसार तैयार की गई योग्यताक्रम सूची के आधार पर ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रवेश दिया जावेगा।

1.8.4.3 समस्त प्रवेश काउंसिलिंग के माध्यम से किये जावेंगे। काउंसिलिंग का कार्यक्रम विभिन्न समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया जावेगा। काउंसिलिंग का विस्तृत कार्यक्रम सक्षम प्राधिकारी / संचालनालय तकनीकी शिक्षा की वेबसाइट <https://dte.mponline.gov.in> पर उपलब्ध रहेगा। इसके लिये उम्मीदवारों को अलग से कोई भी कॉल लेटर नहीं भेजा जावेगा।

1.8.4.4 मूल प्रमाण-पत्र

काउंसिलिंग प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को अपने मूल प्रमाण-पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होंगे। तत्पश्चात् उम्मीदवारों को उनके मूल प्रमाण-पत्र वापिस कर दिये जायेंगे। उम्मीदवारों को मूल प्रमाण-पत्र प्रवेशित संस्था में जमा नहीं कराना है।

1.8.4.5 प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में संस्थाओं के अंतरण हेतु अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

1.8.4.6 निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् संस्थाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जावेगी।

1.9 प्रवेश का क्रम :-

1.9.1 सक्षम प्राधिकारी द्वारा केन्द्रीकृत परामर्श (काउंसलिंग) से उन संस्थाओं के स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत स्थान अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे जिन्होंने समुचित प्राधिकारी से इसके लिए अनुज्ञा प्राप्त कर ली है। यह स्थान सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया तथा कार्यक्रम के अनुसार भरे जाएंगे तथा कोई स्थान रिक्त रहने की दशा में यह स्थान **मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिये उपलब्ध सीटों में सम्मिलित किए जाकर केन्द्रीयकृत परामर्श (काउंसलिंग) से भरे जाएंगे।**

1.9.2 मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिये उपलब्ध सीटों के पहले दौर की परामर्श (काउंसलिंग) में, आरक्षित प्रवर्ग के प्रथम अभ्यर्थी को निम्नलिखित क्रम से बुलाया जायेगा, ताकि रिक्त आरक्षित स्थान पारस्परिक रूप से परिवर्तित किए जा सकें :- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति।

1.9.3 आरक्षित प्रवर्गों के परामर्श (काउंसलिंग) संचालित करने के पश्चात्, उपरोक्त क्रमानुसार, रिक्त स्थान, यदि कोई हों, अनारक्षित स्थानों में संविलीन किए जाएंगे और तब अनारक्षित स्थानों के लिये परामर्श (काउंसलिंग) प्रारंभ की जाएगी.

आरक्षित श्रेणी के ऐसे उम्मीदवार जिनके नाम अनारक्षित श्रेणी की मेरिट सूची में भी हैं कों, अनारक्षित सीटों के आवंटन में भी विचारार्थ लिया जायेगा। उन्हें आरक्षित श्रेणी से अथवा अनारक्षित श्रेणी से, उनकी पसंद की प्राथमिकता दी जाएगी। आरक्षित श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जिनका प्रवेश अनारक्षित श्रेणी की सीटों पर किया जाएगा उनकी गणना अनारक्षित श्रेणी में की जाएगी.

1.9.4 यदि सामान्य प्रवेश परीक्षा की योग्यता क्रम के आधार पर पहले दौर की परामर्श (काउंसलिंग) के पश्चात् स्थान रिक्त रहते हैं तो विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिये रिक्त स्थानों की संख्या एवं प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों की अनुमानित संख्या को ध्यान में रखते हुए द्वितीय दौर की परामर्श (काउंसलिंग), प्रवेश

परीक्षा की रैंक के आधार एवं/अथवा अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर, उन्हें पृथक-पृथक अथवा साथ-साथ आयोजित कराये जाने का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर परामर्श (काउंसलिंग) में उपलब्ध समस्त स्थान अनारक्षित श्रेणी में होंगे एवं जिसके लिये समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों की एक संयुक्त मेरिट सूची के आधार पर आवंटन होगा।

परामर्श (काउंसलिंग) के उपर्युक्त दौर के पश्चात् यदि स्थान रिक्त रहते हैं तो ऐसे स्थान, प्रवेश नियम 2008 (यथासंशोधित) तथा/अथवा शासन द्वारा घोषित सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार, काउंसलिंग सम्पादित की जावेगी।

- 1.9.5 बी.ई./बी.टेक. पाठ्यक्रमों में सामान्य प्रवेश परीक्षा आधारित केन्द्रीकृत परामर्श (काउंसलिंग) चरणों उपरान्त, प्रवेशित संस्था में अभ्यर्थी यदि अपनी ब्रांच परिवर्तन के विकल्प लेने का इच्छुक हो, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्समय अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार ब्रांच परिवर्तन के लिये अपना विकल्प दे सकेगा ब्रांच परिवर्तित होने की दशा में, उसकी पूर्व आवंटित ब्रांच का प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जाएगा तथा पश्चात्पूर्वी ब्रांच में ही उसका प्रवेश बना रहेगा।**

1.10 प्रवेश का रद्द किया जाना:-

- (1) यदि किसी प्रक्रम पर यह पाया जाए कि अभ्यर्थी ने किसी संस्था में, मिथ्या या गलत जानकारी के आधार पर या सुसंगत तथ्यों को छिपाकर प्रवेश प्राप्त किया है या यदि प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया जाए कि अभ्यर्थी को किसी भूल या अनदेखी के कारण प्रवेश दिया गया था, तो ऐसे अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश उसके अध्ययन के दौरान किसी भी समय किसी पूर्व सूचना के बिना संस्था के प्राचार्य या सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्काल रद्द किए जाने के दायित्वाधीन होगा।
- (2) मान. उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के परिपालन में प्रवेश की अंतिम तिथि 14 अगस्त निर्धारित की गई है तथापि एआईसीटीई द्वारा शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिये जारी शैक्षणिक कैलेंडर प्रभावशील रहेगा।

(3) रद्दकरण के पश्चात स्थानों की स्थिति:-

प्रवेश के रद्दकरण के कारण या निर्धारित तारीख के भीतर (जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित किया जाए) अभ्यर्थी द्वारा रिपोर्ट न करने के कारण उद्भूत होने वाले रिक्त स्थान, विद्यमान चरण की अपग्रेड प्रक्रिया में शामिल किया जायेगा

(यदि लागू हो तो) या अगले चरण की काउंसिलिंग (यदि संचालित की जाती है) में आवंटन के लिये उपलब्ध कराया जाएगा।

(4) प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् प्रवेश रद्द करने संबंधी कार्यवाही केवल प्रवेशित संस्था द्वारा ही की जावेगी।

1.11 शिक्षण तथा अन्य फीस :-

राज्य शासन ने बी.ई./बी.टेक. पाठ्यक्रम संचालित करने वाली विभिन्न संस्थाओं द्वारा उम्मीदवारों से लिये जाने वाले शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क के आदेश समय-समय पर जारी किए हैं। प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों को प्रचलित शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क प्रवेशित संस्था में जमा करने होंगे।

1.12 निर्वचन :-

उम्मीदवारों के प्रवेश हेतु चयन संबंधी नीतियों के प्रश्नों पर तथा प्रवेश नियमों के अर्थ लगाने (Interpretation) संबंधी कोई प्रश्न उपस्थित होने पर निर्णय लेने में मध्यप्रदेश राज्य शासन अंतिम प्राधिकारी रहेगा एवं जिसका निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

1.13 उपांतरण :-

मध्यप्रदेश राज्य शासन प्रवेश के किसी भी नियम / प्रक्रिया में किसी भी समय जनहित में आवश्यकतानुसार संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है तथा इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा।

1.14 अधिकारिता :-

किसी विधि संबंधी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

प्रवेश नियम की प्रति संचालनालय तकनीकी शिक्षा की वेबसाइट <https://dte.mponline.gov.in> पर उपलब्ध रहेगी।

मध्यप्रदेश में स्थित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिये सत्र 2023-23 प्रवेश नियम

मध्य प्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम-2007 (क्रमांक 21 सन् 2007) के अंतर्गत दिनांक 15 अप्रैल 2008 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित नियमों के अनुसार सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में सत्र 2023-24 से बी.ई./बी.टेक. पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये, प्रवेश नियम प्रभावशील रहेंगे तथापि नीतिगत परिवर्तन की दशा में ही नियमों में आवश्यक संशोधन उपरान्त शासन अनुमति आवश्यक होगी:-

2.1 संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम **प्रवेश नियम, 2008** है।
- (2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित 15 अप्रैल, 2008 से प्रवृत्त हैं एवं संशोधन मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू हैं ।

2.2 परिभाषाएं :-

इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

- (क) “**अधिनियम**” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 21 सन् 2007);
- (ख) “**समुचित प्राधिकारी**” से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (क) में यथा परिभाषित प्राधिकारी;
- (ग) “**प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति**” से अभिप्रेत है, व्यावसायिक शिक्षण संस्था में प्रवेश प्रक्रिया के पर्यवेक्षण तथा मार्गदर्शन के लिए तथा प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों से प्रभारित की जाने वाली फीस के निर्धारण के लिए इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित समिति;
- (घ) “**ए.आई.सी.टी.ई.**” से अभिप्रेत है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) द्वारा स्थापित कानूनी निकाय;
- (ङ.) “**उपाबंध**” से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न उपाबंध;
- (च) “**सामान्य प्रवेश परीक्षा**” से अभिप्रेत है, राज्य सरकार / केन्द्र सरकार द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अभिकरण द्वारा एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से व्यावसायिक महाविद्यालयों या संस्थाओं में गुणागुण आधारित प्रवेश के प्रयोजन के लिए केन्द्रीकृत परामर्श द्वारा अनुसरित अभ्यर्थियों के गुणागुण के लिए संचालित कोई प्रवेश परीक्षा;
- (छ) “**सक्षम प्राधिकारी**” से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी;

- (छ-1) “पाठ्यक्रम” से अभिप्रेत हैं कोई पाठ्यक्रम जिसकी नाम पद्यति समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है तथा जिसके लिये किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड या संस्था द्वारा अलग से डिग्री/डिप्लोमा प्रदान किया जाता हैं (जैसे बी.ई./बी.टेक. इलेक्ट्रिकल, बी.ई./बी.टेक. मैकेनिकल, एमसीए, एमबीए, डी.फार्मा, आदि)
- (ज) “फीस” से अभिप्रेत है, शिक्षण फीस सहित समस्त फीस तथा विकास प्रभार;
- (झ) “अनिवासी भारतीय” का वही अर्थ होगा जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 115-ग के खण्ड (ड.) में उसके लिए दिया गया है;
- (ञ) “प्राचार्य” से अभिप्रेत है, संस्था का प्रमुख;
- (ट) “सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था” से अभिप्रेत है, कोई व्यावसायिक शिक्षण संस्था, जो किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार से आवर्ती वित्तीय सहायता या सहायता अनुदान प्राप्त नहीं कर रही हो तथा जो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक निकाय द्वारा स्थापित या पोषित नहीं है;
- (ठ) “व्यावसायिक शिक्षण संस्था” से अभिप्रेत है, व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर रहा कोई महाविद्यालय या कोई स्कूल या कोई संस्थान, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो राज्य के किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध हो जिसमें राज्य विधान मंडल के अधिनियमद्वारा स्थापित या निगमित कोई निजी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 3) की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय होना समझी गई कोई संघटक इकाई सम्मिलित है, और जो व्यावसायिक शिक्षण को विनियमित करने वाले किसी सक्षम कानूनी निकाय द्वारा अनुमोदित या मान्यता प्राप्त हो;
- (ड) “अर्हकारी परीक्षा” से अभिप्रेत है, उस न्यूनतम अर्हता की परीक्षा जिसको उत्तीर्ण करने पर कोई अभ्यर्थी इन नियमों में यथाविहित सुसंगत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश चाहने हेतु हकदार होता है;
- (ढ) “एकल खिड़की प्रणाली” से अभिप्रेत हैं, ऐसी प्रणाली, जिसके द्वारा सभी संस्थाओं में उपलब्ध स्थान, सामान्य केन्द्रीकृत परामर्श (काउन्सलिंग) या विकेन्द्रीकृत ऑनलाईन परामर्श (काउन्सलिंग) के माध्यम से सामान्य प्रवेश परीक्षा के गुणागुण के क्रम में अर्ह अभ्यर्थियों को प्रस्थापित किए जाते हैं;
- (ण) “जेईई (मेन)” से अभिप्रेत है, एन.टी.ए., नोयडा (NTA) द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा “ज्वॉइन्ट एन्ट्रेंस एक्जामिनेशन (मेन)”
- (त) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जो इन नियमों में प्रयुक्त की गई हैं, किन्तु परिभाषित नहीं की गई हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनके लिए दिया गया है।

उपरोक्त के अलावा नियम पुस्तिका में उपयोग किये जाने वाले संक्षिप्ताक्षर निम्नानुसार है:-

1. "सी.टी.ई." से अभिप्रेत है कमिशनर टेक्नीकल एजुकेशन, मध्यप्रदेश;
2. "रा.गां.प्रौ.वि." से अभिप्रेत हैं राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल से है;
3. "मध्यप्रदेश (म.प्र.)" से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश राज्य जो 01.11.2000 को अस्तित्व में आया है;
4. "TFW" से तात्पर्य "शिक्षण शुल्क छूट योजना सीट" है।
5. "EWS" से तात्पर्य "मध्यप्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी" है।
6. "सामान्य पूल" से अभिप्रेत है, प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 85 प्रतिशत स्थान, जहां कुल स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 5 प्रतिशत स्थान अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से और 10 प्रतिशत स्थान संस्थागत प्राथमिकता की श्रेणी से भरे जा रहे हैं वहां इसका अर्थ होगा कि प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 95 प्रतिशत स्थान, जहां कुल स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 5 प्रतिशत स्थान केवल अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरे जा रहे हों और जहां अनिवासी भारतीय तथा संस्थागत प्राथमिकता श्रेणी के अंतर्गत कोई प्रवेश नहीं दिए जा रहे हों, वहां इसका अर्थ होगा, प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 100 प्रतिशत स्थान । प्रत्येक संस्था में तथा उसकी प्रत्येक ब्रांच में सामान्य पूल के स्थानों में से 16 प्रतिशत, 20 प्रतिशत एवं 14 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों (अन्य पिछड़े वर्गों की प्रवर्गों के क्रीमीलियर को छोड़कर) के लिये जैसा कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जायेगा क्रमशः आरक्षित रखे जायेंगे।
अनारक्षित सीटों पर प्रवेश के लिये मध्यप्रदेश के मूल-निवासी की बाध्यता लागू नहीं होगी अर्थात् अनारक्षित सीटों पर मध्यप्रदेश के मूल-निवासियों के साथ-साथ अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जावेगा।

2.3. लागू होना:-

ये नियम ऐसी सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक संस्थाओं (स्ववित्त पोषित) को लागू होंगे, जो इस प्रयोजन के लिए ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा यथा अधिसूचित व्यावसायिक पाठ्यक्रम बी.ई./बी.टेक. संचालित कर रही हों।

2.4. प्रवेश नियम :-

समस्त व्यावसायिक संस्थाओं में प्रवेश की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

2.4.1 स्थानों की उपलब्धता -

मध्यप्रदेश में विभिन्न संस्थाओं में उपलब्ध स्थानों की संख्या निम्नानुसार है:-

संस्थाओं के प्रकार	प्रवेश क्षमता की प्रतिशतता
निजी संस्थाएं	अ) उन संस्थाओं में जिन्होंने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के लिये और सक्षम प्राधिकारी से संस्थागत प्राथमिकता के अधीन स्थान भरने की अनुज्ञा प्राप्त नहीं की है, सामान्य पूल में स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 100 प्रतिशत।
	ब) उन संस्थाओं में, जिन्होंने प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 5 प्रतिशत तक अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरने के लिये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है, किन्तु जिन्होंने संस्थागत प्राथमिकता प्रवर्ग के अधीन स्थान भरने के लिये अपना विकल्प नहीं दिया है, सामान्य पूल में स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 95 प्रतिशत (यदि अनिवासी भारतीय स्थान नहीं भरे गए हैं तो ये स्थान सामान्य पूल के स्थानों में संपरिवर्तित हो जाएंगे)
	स) उन संस्थाओं में, जिन्होंने प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 5 प्रतिशत केवल अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरने के लिये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है, तथा जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्थागत प्राथमिकता प्रवर्ग के अधीन 10 प्रतिशत तक स्थान भरने के लिये अनुज्ञा मिल गयी है, सामान्य पूल में स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 85 प्रतिशत (यदि अनिवासी भारतीय वाले स्थान नहीं भरे गए हैं तो ये स्थान सामान्य पूल के स्थानों में संपरिवर्तित हो जाएंगे) ।

(क) विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में उपलब्ध स्थानों की अद्यतन जानकारी परामर्श (Counselling) संचालित करने वाले सक्षम प्राधिकारी की वेबसाइट <https://dte.mponline.gov.in>. पर उपलब्ध कराई जावेगी।

(ख) यदि किसी नई संस्था को अनुमति प्रदान की जाती है, या किसी विद्यमान संस्था में नवीन ब्रांच या विद्यमान ब्रांच की प्रवेश क्षमता में परिवर्तन की जाने की अनुज्ञा उस वर्ष समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है, तो उसे परामर्श (काउंसलिंग) में समाविष्ट किया जा सकेगा, बशर्ते कि संस्था ने संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता तथा राज्य सरकार से अनुज्ञा प्राप्त कर ली हो।

(ख-1) विद्यमान संस्था/पाठ्यक्रमों की निरंतरता अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली एवं संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्रदान नहीं की जाती है तो ऐसी संस्थाओं को काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जायेगा।

2.4.2 स्थानों का आवंटन/ आरक्षण -

प्रत्येक संस्था में तथा उसकी प्रत्येक ब्रांच में सामान्य पूल के (कुल अंतर्ग्रहण के 85, 95, 100 प्रतिशत स्थानों में से) 16 प्रतिशत, 20 प्रतिशत एवं 14 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों (क्रीमीलियर को छोड़कर) के लिये जैसा कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जायेगा क्रमशः आरक्षित रखे जायेंगे। विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा हो तो उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण पत्र इस नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में परामर्श के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रवेश परीक्षा के आधार पर यदि द्वितीय चरण की काउंसलिंग आयोजित की जाती है तब प्रथम चरण के उपरान्त विभिन्न श्रेणियों में रिक्त स्थानों को नियमानुसार पुनः परिवर्तित (**Redistribution**) किया जावेगा।

टिप्पणी :-

- (1) विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में से उम्मीदवार केवल एक ही श्रेणी में आरक्षण का दावा कर सकता है।
- (2) जिस श्रेणी में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा हो, उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण पत्र इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित प्रारूप में परामर्श (Counselling) के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(क) **मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) तथा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी:-**

ऐसा उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) अथवा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, उसे इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित **प्रारूप-1** में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। (मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ-7-2/96/अ.प्र./एक, दिनांक 01 अगस्त, 1996 तथा शासन द्वारा इस संबंध में जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश देखें)

(ख) **मध्य प्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (OBC) श्रेणी:-**

ऐसा उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, उसे इस नियम पुस्तिका में दिये गए निर्धारित **प्रारूप-2** में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र **30 अप्रैल 2020** के पूर्व जारी किया गया हो तो उम्मीदवार को परिवार की कुल वार्षिक आय का नवीनतम आय प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो अथवा आय प्रमाण पत्र संबंधी मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक, दिनांक 25/09/2014 को जारी निर्देशानुसार आय बाबत स्व प्रमाणित घोषणा-पत्र **प्रारूप-10** में परामर्श के समय प्रस्तुत करना होगा। (देखें मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ-7-2/96/ आ.प्र./एक, दिनांक 12 मार्च, 1997 एवं आदेश क्रमांक एफ-7-16-2000/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 06.07.2000 तथा शासन द्वारा क्रीमीलेयर के संबंध में जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश)

(ग) **जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित की सीटें (J & K Migrants Seats):**

जम्मू एवं काश्मीर राज्य के विस्थापित वर्ग के पुत्र/पुत्रियों के लिए प्रत्येक संस्था में एक-एक सीट प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त अधिसंख्या के (over and above) आधार पर उपलब्ध है। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवार को निर्धारित **प्रारूप-7** में जम्मू एवं काश्मीर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बी.ई./बी.टेक. पाठ्यक्रम के लिये जेईई (मेन)-2023 प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

इसी वर्ग के अंतर्गत मध्यप्रदेश सेवा के ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को, जिनकी पदस्थापना जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण में रही हो और जिनके पुत्र/पुत्रियों ने जम्मू एवं कश्मीर राज्य से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की हों को भी प्रवेश की पात्रता होगी। ऐसे उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप-8 में प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। बी.ई./बी.टेक. पाठ्यक्रम के लिये जेईई (मेन)-2023 प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी ।

(घ) जम्मू एवं कश्मीर राज्य के निवासियों की सीटें (J & K Residents Seats) प्रत्येक संस्था में सामान्य पूल सीटों में से एक-एक सीट प्रत्येक संस्थाओं में आरक्षित की गई हैं। बी.ई./बी.टेक. पाठ्यक्रम के लिये जेईई (मेन)-2023 प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

(ड) **शिक्षण शुल्क छूट योजना के अंतर्गत उपलब्ध सीट (Tuition Fee Waiver Scheme) :-**

ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा शासित समस्त संस्थाओं में तीन/चार वर्षीय, डिग्री, डिप्लोमा एवं पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण शुल्क में छूट की योजना ऐसी संस्थाओं में जिनमें गतवर्ष प्रवेश क्षमता के न्यूनतम 50 प्रतिशत प्रवेश हुए हों उन संस्थाओं में अनिवार्य रूप से लागू होगी जिसमें प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत स्थान अधिसंख्य रूप से उपलब्ध होंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय **रुपये 8.00 लाख से अधिक ना हों** इन स्थानों के लिए प्रवेश हेतु पात्र होंगे। शिक्षण शुल्क में छूट की योजना के अंतर्गत रियायत केवल शिक्षण शुल्क की राशि जैसा कि प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति द्वारा निर्धारित की गई हों तक सीमित होगी और शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य समस्त शुल्क अभ्यर्थियों द्वारा वहन किए जाएंगे। इस श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर, ये स्थान अन्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरे जाएंगे। इस श्रेणी के अंतर्गत प्रवेशित अभ्यर्थी को सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में अपनी ब्रांच या संस्था परिवर्तन का अधिकार नहीं होगा इन स्थानों पर प्रवेश के लिए केन्द्रीयकृत परामर्श (काउंसलिंग) की जावेगी। इन स्थानों के लिए परामर्श (काउंसलिंग) एवं प्रवेश प्रक्रिया उसी प्रकार से होगी, जैसी कि नियमित प्रवेश के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित की जाए। **इस योजना के अधीन केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थी ही प्रवेश के पात्र होंगे।**

(च) मध्यप्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) हेतु आरक्षण:-

मध्यप्रदेश में स्थित निजी तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-07-11/2019/आ.प्र./एक, भोपाल, दिनांक 02 जुलाई 2019 के अनुसार स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 10 प्रतिशत स्थान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) अभ्यर्थियों हेतु उपलब्ध होंगे। प्रवेश केवल मध्यप्रदेश के मूल-निवासी अभ्यर्थियों, जिनके परिवार की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय रुपये 8.00 (आठ) लाख से अधिक ना हो, को दिया जावेगा।

ऐसा उम्मीदवार जो मध्यप्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, इस नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप-11 में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। (मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग एफ-07-11/2019/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 02 जुलाई 2019 तथा शासन द्वारा इस संबंध में जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश देखें)

(ढ) एन.आर.आई. (NRI) सीटें :-

समस्त संस्थाओं में जिनमें एआईसीटीई द्वारा प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत सीटें अनिवासी भारतीय उम्मीदवारों को प्रवेश देने के लिये अनुमति दी जावेगी उन पर प्रवेश मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों के प्रवेश से संबंधित नियम “प्रवेश (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में अनिवासी भारतीय को आरक्षण) विनियम, 2011” दिनांक 19 मई, 2011 के अनुसार दिये जावेंगे।

2.5 प्रवेश हेतु पात्रता :

1) जो भारत का नागरिक हो

2) शैक्षणिक अर्हता

बी.ई./बी.टेक. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवार को निम्नलिखित में से कोई भी एक परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है:-

माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 प्रणाली की बारहवीं कक्षा की परीक्षा भौतिक / गणित / रसायन / कंप्यूटर साइंस / इलेक्ट्रॉनिक्स / इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी/ बायोलॉजी/ इन्फार्मेटिक्स प्रेक्टिस / बायोटेक्नालॉजी / टेक्नीकल वोकेशनल सब्जेक्ट / एग्रीकल्चर / इंजीनियरिंग ग्राफिक्स / बिजनेस स्टडीज / एन्टरप्रोन्यरशिप विषयों के साथ तालिका-1 में दर्शाये अनुसार सम्मिलित रूप से उत्तीर्ण करना होगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिये एग्रीकल्चर स्ट्रीम (कृषि से संबंधित तीन मुख्य विषयों के साथ) से 10+2 प्रणाली की बारहवीं परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी प्रवेश के लिये पात्र होंगे।

सम्मिलित रूप से अर्हता के लिये तालिका-1 के अनुसार आवश्यक तीन विषयों में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है {मध्यप्रदेश के मूलनिवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा}

Passed 10+2 examination with Physics/Mathematics/Chemistry/Computer Science/Electronics/Information Technology/ Biology /Informatics Practices/ Biotechnology/Technical vocational Subject/Agriculture/Engineering Graphics/ Business Studies/Entrepreneurship as per table 1.

In addition to above, Candidates who have passed 12th examination of 10+2 scheme in Agriculture stream (with three main agriculture stream subjects) are also eligible for admission only in Agriculture Engineering Branch.

Obtained at least 45% marks in required three main subjects as per table-1 (40% marks in case of candidates belonging to SC/ST/OBC (excluding creamy layer) category of Madhya Pradesh), in the above subjects taken together.

नोट:-

1. ऐसे उम्मीदवार भी प्रवेश के लिये पात्र होंगे जिन्होंने अर्हकारी परीक्षा कृपांक (ग्रेस) के साथ उत्तीर्ण की होगी किन्तु उपरोक्तानुसार न्यूनतम प्रतिशत का बंधन लागू होगा जिसमें ग्रेस अंक नहीं जोड़े जायेंगे।
2. ऐसे समस्त उम्मीदवार जो अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची ग्रेडिंग सिस्टम पर आधारित है, अंकसूची में दिए परिवर्तन सूत्र अनुसार ग्रेड को अंकों में परिवर्तित कर प्रस्तुत करना होगा।
3. जेईई (मेन)-2023 की प्रवेश परीक्षा में ऐसे समस्त उम्मीदवार जो अर्हकारी परीक्षा में सत्र 2022-23 में सम्मिलित हो रहे हैं, भाग ले सकते हैं परंतु उन्हें परामर्श के समय अर्हकारी परीक्षा की मूल अंक सूची प्रस्तुत करनी होगी।

3) मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकतायें (M.P. Domicile Requirements)

बी.ई./बी.टेक. की सामान्य पूल की सीटों जिनपर नियमानुसार मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर)

आरक्षण का प्रावधान रखा गया है, इन सीटों पर प्रवेश हेतु चयन के लिये पात्रता होगी:-

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक दिनांक 29 जून, 2013 के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले के लिये सक्षम प्राधिकारी (नायब तहसीलदार/ तहसीलदार) द्वारा जारी स्थानीय प्रमाण-पत्र **प्रारूप-6** अनुसार अथवा स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र संबंधी मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक, दिनांक 25/09/2014 को जारी निर्देशानुसार स्थानीय निवासी हेतु स्व प्रमाणित घोषणा-पत्र **प्रारूप-6 (अ)** में प्रस्तुत करना आवश्यक है।

2.6 प्रवेश की रीति

राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अभिकरण द्वारा संचालित सामान्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश किया जायेगा। प्राधिकृत अभिकरण सामान्य प्रवेश परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर गुणागुण/प्रतीक्षा सूची तैयार करेगा तथा अधिसूचित करेगा।

राज्य शासन द्वारा अधिकृत नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) नोएडा द्वारा आयोजित की जाने वाली जेईई (मेन)-2023 की घोषित ऑल इंडिया रैंक के आधार पर बी.ई./बी.टेक. में प्रवेश दिये जायेंगे। {एनटीए द्वारा जेईई (मेन) की घोषित ऑल इंडिया रैंक केवल धनात्मक समग्र अंक (*positive composite score*) प्राप्त उम्मीदवार ही पात्र होंगे।}

2.7 प्रवेश की प्रक्रिया

2.7.1 ऑन लाईन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग प्रवेश प्रक्रिया

(Online Offcampus Admission Procedure)

राज्य सरकार द्वारा किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए आन लाईन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग (परामर्श) संचालित करने का विनिश्चय किए जाने की दशा में राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए घोषित सक्षम प्राधिकारी, विस्तृत कार्यक्रम को अंतिम रूप देगा और प्रवेश की प्रक्रिया तथा विभिन्न अंतिम तिथियां (कट ऑफ डेट्स) घोषित करते हुए वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा।

2.7.2 अनिवासी भारतीयों के स्थानों के विरुद्ध प्रवेश की प्रक्रिया :-

2.7.2.1 ऐसी समस्त संस्थाओं में जिनमें एआईसीटीई द्वारा प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत सीटें अनिवासी भारतीय उम्मीदवारों को प्रवेश देने के लिये

अनुमति दी जावेगी उन पर प्रवेश मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों के प्रवेश से संबंधित नियम "प्रवेश (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में अनिवासी भारतीय को आरक्षण) विनियम, 2011" दिनांक 19 मई, 2011 के अनुसार दिये जावेंगे।

2.7.2.2 अनिवासी भारतीय के रिक्त स्थानों का संपरिवर्तन -

अनिवासी भारतीयों के रिक्त स्थान, जैसा कि अनिवासी भारतीय के न भरे गये स्थानों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सामान्य पूल के स्थानों में संविलीन कर दिए जाएंगे तथा इन स्थानों की पूर्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा, सामान्य पूल के स्थानों की प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार की जाएंगी।

2.7.3 विदेशी नागरिकों / भारतीय मूल के नागरिकों (पी.आई.ओ.)/खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीय मूल के नागरिकों के बालकों (सी.आई.डब्ल्यू.जी.सी.) का प्रवेश-

- (एक) ऐसी संस्थायें जिन्हें एआईसीटीई के अनुमोदन में विदेशी नागरिकों/भारतीय मूल के नागरिकों (पी.आई.ओ.)/सीआईडब्ल्यूजीसी के अभ्यर्थियों की सीटों के लिये भी अनुमोदन प्रदान किया जाता है तब ऐसी संस्थाओं को स्वीकृत प्रवेश क्षमता के अधिकतम 15 प्रतिशत (अधिसंख्य) स्थान पर प्रवेश देने की पात्रता होगी। ऐसे स्थान सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित प्रक्रियानुसार भरे जा सकेंगे।
- (दो) संबंधित संस्था के लिये यह अनिवार्य होगा कि अभ्यर्थियों की वास्तविकताओं तथा उनके अभिलेखों को सुनिश्चित करें तथा उन्हें सक्षम प्राधिकारी, शासन, एआईसीटीई को कोई जानकारी या वांछित प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराएं।

2.8 प्रवेश हेतु चयन पद्धति

- 2.8.1 बी.ई./बी.टेक. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवारों के चयन के लिये नेशनल टेस्टिंग एजेन्सी (NTA) नोएडा द्वारा संचालित प्रवेश परीक्षा जेईई (मेन)-2023 की मेरिट के आधार पर प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी।

2.8.2 प्रवेश परीक्षा जेईई (मेन)-2023 में अंकों में अधिभार

राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले मध्यप्रदेश के छात्र-छात्राओं को नेशनल टेस्टिंग एजेन्सी (NTA) नोएडा द्वारा आयोजित जेईई (मेन)-2023 प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर मेरिट सूची में स्थान निर्धारित किया जायेगा। उम्मीदवार को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर स्वर्ण पदक प्राप्त करने के विषय में निर्धारित **प्रारूप-9** में प्रमाण-पत्र संचालक, खेल एवं युवक कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। ऐसे उम्मीदवार जो 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार लिए हैं मेरिट सूची में समान अंक प्राप्त उस उम्मीदवार से नीचे रखा जाएगा जिसे ऐसा अधिभार प्राप्त नहीं है।

2.8.3 योग्यता क्रम सूचियां

2.8.3.1 जेईई (मेन)-2023 में ऑल इंडिया रैंक के आधार पर बी.ई./बी.टेक. पाठ्यक्रम हेतु नेशनल टेस्टिंग एजेन्सी (NTA) नोएडा द्वारा एकीकृत योग्यताक्रम सूचियाँ (Common Merit Lists) उपलब्ध कराई जावेगी।

2.8.3.2 बी.ई./बी.टेक. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता रखने वाले उम्मीदवारों को संस्था एवं इंजीनियरिंग ब्रांच का आवंटन, नेशनल टेस्टिंग एजेन्सी (NTA), नोएडा द्वारा तैयार की गई जेईई (मेन)-2023 की योग्यताक्रम सूचियो (Common Merit Lists) के आधार पर किया जाएगा।

2.8.3.3 समान कुल अंक प्राप्त परीक्षार्थियों की पारस्परिक प्रावीण्यता (Inter-se Merit)

समान कुल अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की पारस्परिक प्रावीण्यता (Inter-se Merit) वही मान्य होगी जैसा कि नेशनल टेस्टिंग एजेन्सी (NTA), नोएडा द्वारा आयोजित जेईई (मेन)-2023 प्रवेश परीक्षा के नियम अनुसार निर्धारित कर, मेरिट सूची प्रदान की गई हो।

अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट हेतु अर्हकारी परीक्षा में समान अंक प्राप्त होने पर अर्हता के लिये आवश्यक 03 विषयों में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को योग्यताक्रम सूची में ऊपर

रखा जावेगा। अर्हता के लिये आवश्यक 03 विषयों में भी समान अंक प्राप्त होने पर अधिक आयु वाले उम्मीदवार को योग्यताक्रम सूची में ऊपर रखा जावेगा। तत्पश्चात् आयु में भी समानता होने पर उम्मीदवार के नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर योग्यताक्रम सूची में रखा जावेगा।

2.8.4 प्रवेश प्रक्रिया की सामान्य जानकारी :

2.8.4.1 सामान्य पूल सीटों, शिक्षण शुल्क छूट योजना सीटों, जम्मू कश्मीर विस्थापित एवं जम्मू कश्मीर निवासी सीटों के लिये बी.ई./बी.टेक. पाठ्यक्रम में प्रवेश केवल (जेईई (मेन)-2023) की प्रवेश परीक्षा के आधार पर नेशनल टेस्टिंग एजेन्सी (NTA), नोएडा द्वारा तैयार की गई योग्यताक्रम सूचियों के अनुसार दिये जा सकेंगे।

2.8.4.2 शिक्षण शुल्क छूट योजना के अंतर्गत उपलब्ध सीटों पर प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवारों को नेशनल टेस्टिंग एजेन्सी (NTA), नोएडा द्वारा तैयार की गई योग्यताक्रम सूची के आधार पर ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रवेश दिया जावेगा।

2.8.4.3 समस्त प्रवेश काउंसिलिंग के माध्यम से किये जावेंगे। काउंसिलिंग का कार्यक्रम विभिन्न समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया जावेगा। काउंसिलिंग का विस्तृत कार्यक्रम सक्षम प्राधिकारी/संचालनालय तकनीकी शिक्षा की वेबसाइट <https://dte.mponline.gov.in> पर उपलब्ध रहेगा। इसके लिये उम्मीदवारों को अलग से कोई भी कॉल लेटर नहीं भेजा जावेगा।

2.8.4.4 मूल प्रमाण- पत्र

काउंसिलिंग प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को अपने मूल प्रमाण-पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होंगे। तत्पश्चात् उम्मीदवारों को उनके मूल प्रमाण-पत्र वापिस कर दिये जायेंगे। उम्मीदवारों को मूल प्रमाण-पत्र प्रवेशित संस्था में जमा नहीं कराना है।

2.8.4.5 प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में संस्थाओं के अंतरण हेतु अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

2.8.4.6 निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् संस्थाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जावेगी ।

2.9 प्रवेश का क्रम :-

- 2.9.1** सक्षम प्राधिकारी द्वारा केन्द्रीकृत परामर्श (काउंसिलिंग) से उन संस्थाओं के स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत स्थान अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे जिन्होंने समुचित प्राधिकारी से इसके लिए अनुज्ञा प्राप्त कर ली है। यह स्थान सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया तथा कार्यक्रम के अनुसार भरे जाएंगे तथा कोई स्थान रिक्त रहने की दशा में यह स्थान सामान्य पूल में सम्मिलित किए जाकर केन्द्रीयकृत परामर्श (काउंसिलिंग) से भरे जाएंगे।
- 2.9.2** केवल उन संस्थाओं को, जिन्होंने संस्थागत प्राथमिकता की सीटों के माध्यम से प्राप्त अतिरिक्त आय से स्नातक, डिप्लोमा एवं पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रवेशित समस्त अभ्यर्थियों को शिक्षण शुल्क में 10 प्रतिशत छूट प्रदान करने की सहमति दी हो, स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 10 प्रतिशत स्थानों को सर्वप्रथम सामान्य प्रवेश परीक्षा में क्रमस्थापना (रैंकिंग) के आधार पर योग्यताक्रम में एवं तत्पश्चात् स्थान रिक्त रहने की दशा में अर्हकारी परीक्षा के प्रातांकों के योग्यताक्रम में और एआईसीटीई/राज्य शासन द्वारा निर्धारित पात्रता मानदण्ड पूरा करने पर मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियामक एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 21 सन् 2007) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार द्वारा बनाये गये प्रवेश नियम 2008 (यथा संशोधित) तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार भरने की अनुमति दी जायेगी।
- 2.9.3** सामान्य पूल के परामर्श (काउंसिलिंग) में, आरक्षित प्रवर्ग के प्रथम अभ्यर्थी को निम्नलिखित क्रम से आवंटन किया जायेगा ताकि रिक्त आरक्षित स्थान पारस्परिक रूप से परिवर्तित किए जा सकें- अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति।
- 2.9.4** आरक्षित प्रवर्गों के परामर्श (काउंसिलिंग) संचालित करने के पश्चात, उपरोक्त क्रमानुसार, रिक्त स्थान, यदि कोई हों, अनारक्षित स्थानों में संविलीन किए जाएंगे और तब अनारक्षित स्थानों के लिये परामर्श (काउंसिलिंग) प्रारंभ की जाएगी।

आरक्षित श्रेणी के ऐसे उम्मीदवार जिनके नाम अनारक्षित श्रेणी की मेरिट सूची में भी है को, अनारक्षित सीटों के आवंटन में भी विचारार्थ लिया जायेगा। उन्हें आरक्षित श्रेणी से अथवा अनारक्षित श्रेणी से, उनकी पसंद की प्राथमिकता दी जाएगी। आरक्षित श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जिनका प्रवेश अनारक्षित श्रेणी की सीटों पर किया जाएगा उनकी गणना अनारक्षित श्रेणी में की जाएगी।

2.9.5 यदि सामान्य प्रवेश परीक्षा की योग्यता क्रम के आधार पर पहले दौर की परामर्श (काउंसलिंग) के पश्चात् स्थान रिक्त रहते हैं तो विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिये रिक्त स्थानों की संख्या एवं प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों की अनुमानित संख्या को ध्यान में रखते हुए द्वितीय दौर की परामर्श (काउंसलिंग), प्रवेश परीक्षा की रैंक के आधार एवं/अथवा अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर, उन्हें पृथक-पृथक अथवा साथ-साथ आयोजित कराये जाने का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर परामर्श (काउंसलिंग) में उपलब्ध समस्त स्थान अनारक्षित श्रेणी में होंगे एवं जिसके लिये समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों की एक संयुक्त मेरिट सूची के आधार पर आवंटन होगा।

परामर्श (काउंसलिंग) के उपर्युक्त दौर के पश्चात् यदि स्थान रिक्त रहते हैं तो ऐसे स्थान, प्रवेश नियम 2008 यथा संशोधित) तथा/अथवा शासन द्वारा घोषित सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार, काउंसलिंग सम्पादित की जावेगी।

2.9.6 बी.ई./बी.टेक. पाठ्यक्रमों में सामान्य प्रवेश परीक्षा आधारित केन्द्रीकृत परामर्श (काउंसलिंग) चरणों उपरान्त प्रवेशित संस्था में अभ्यर्थी यदि अपनी ब्रांच परिवर्तन के विकल्प लेने का इच्छुक हों, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्समय अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार ब्रांच परिवर्तन के लिये अपना विकल्प दे सकेगा ब्रांच परिवर्तित होने की दशा में, उसकी पूर्व आवंटित ब्रांच का प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जाएगा तथा पश्चात्वर्ती ब्रांच में ही उसका प्रवेश बना रहेगा।

2.10 प्रवेश का रद्द किया जाना :-

- (1) यदि किसी प्रक्रम पर यह पाया जाए कि अभ्यर्थी ने किसी संस्था में, मिथ्या या गलत जानकारी के आधार पर या सुसंगत तथ्यों को छिपाकर प्रवेश प्राप्त किया है या यदि प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया जाए कि अभ्यर्थी को किसी भूल या अनदेखी के कारण प्रवेश दिया गया था, तो ऐसे अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश उसके अध्ययन के दौरान किसी भी समय किसी पूर्व सूचना के बिना संस्था के प्राचार्य या सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्काल रद्द किए जाने के दायित्वाधीन होगा।
- (2) मान. उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के परिपालन में प्रवेश की अंतिम तिथि 14 अगस्त निर्धारित की गई है तथापि एआईसीटीई द्वारा शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिये जारी शैक्षणिक कैलेंडर प्रभावशील रहेगा।

(3) रद्दकरण के पश्चात स्थानों की स्थिति:-

प्रवेश के रद्दकरण के कारण या निर्धारित तारीख के भीतर (जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित किया जाए) अभ्यर्थी द्वारा रिपोर्ट न करने के कारण उद्भूत होने वाले रिक्त स्थान, विद्यमान चरण की अपग्रेड प्रक्रिया में शामिल किया जायेगा (यदि लागू हो तो) या अगले चरण की काउंसिलिंग (यदि संचालित की जाती है) में आवंटन के लिये उपलब्ध कराया जाएगा।

(4) प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् प्रवेश रद्द करने संबंधी कार्यवाही केवल प्रवेशित संस्था द्वारा ही की जावेगी।

2.11 शिक्षण तथा अन्य फीस:-

प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति ने बी.ई./बी.टेक. पाठ्यक्रम संचालित करने वाली विभिन्न संस्थाओं द्वारा उम्मीदवारों से लिये जाने वाले शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क के आदेश समय-समय पर जारी किए हैं। प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों को प्रचलित शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क प्रवेशित संस्था में जमा करने होंगे।

संस्थागत प्राथमिकता की सीटों के लिए शिक्षण शुल्क :-

अधिकतम 1.50 लाख रूपए प्रतिवर्ष प्रति विद्यार्थी संपूर्ण पाठ्यक्रम अवधि के लिये देय होगा। संस्था उपरोक्त शुल्क से भिन्न कम शुल्क प्रभारित कर सकेगी तथापि यह शिक्षण शुल्क सामान्य पूल की सीटों के लिए विहित शिक्षण शुल्क से किसी भी परिस्थिति में कम न होगा और इस संबंध में प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति तथा सक्षम प्राधिकारी को अग्रिम में सूचना देना होगी।

2.12 नियमों/प्रक्रियाओं का उपांतरण:-

मध्यप्रदेश राज्य सरकार, स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु, प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति से सम्यक् परामर्श करने के पश्चात् प्रवेश के लिए किसी उपबंध/नियम/प्रक्रिया को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है और इस प्रकार किया गया कोई उपांतरण आबद्धकर होगा।

अभिकरण की ओर से किसी उल्लंघन या इस अधिनियम के उपबंधों के किसी उल्लंघन से व्यथित कोई अभ्यर्थी, प्रक्रिया या अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में वाद हेतु तथा अधिकथित चूक दर्शाते हुए समिति को आवेदन कर सकेगा।

2.13 पाठ्यक्रम:-

ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा अनुमोदित तकनीकी शिक्षण संस्थाओं से संबंधित पाठ्यक्रम तालिका में दिए गए हैं।

2.14 निर्वचन:-

इन नियमों के निर्वचन (Interpretation) के संबंध में यदि कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

2.15 अधिकारिता:-

किसी भी विवाद के मामले में अधिकारिता केवल मध्यप्रदेश में गठित तथा स्थित न्यायालयों तक ही सीमित रहेगी।

प्रवेश नियम की प्रति संचालनालय तकनीकी शिक्षा की वेबसाइट <https://dte.mponline.gov.in> पर उपलब्ध रहेगी।

**अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमाण-पत्र
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)**

अनुभाग.....जिला.....मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक..... प्रकरण क्रमांक..... प्रमाण
पत्र क्रमांक.....

स्थायी जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/ कुमारी..... पिता/
पति का नाम.....
निवासी ग्राम/नगर.....वि.खं.....तहसील.....
जिला..... संभाग.....के.....जाति/ जनजाति का/ की
सदस्य है और इस जाति/ जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में
अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह.....
जाति/ जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम 1976 ,के अंतर्गत मध्यप्रदेश की
सूची में अनुक्रमांक.....पर अंकित हैं।
अतःश्री/श्रीमती/कुमारी.....पिता/पतिका
नामअनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी.....के परिवार
की कुल वार्षिक आय रूपए.....है।

हस्ताक्षर

दिनांक.....

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम

(सील)

पदनाम

- टिप्पणी (1) अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित जनजाति।
- (2) केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र मान्य होंगे। (अ) कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/एस.डी.ओ.(अनुविभागीय अधिकारी) उपसंभागीय मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट (ब) तहसीलदार (द) परियोजना प्रशासक/अधिकारी एवं वृहद/मध्यम/एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना।

यह प्रमाण पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात ही जारी किया जावे, न कि उम्मीदवार के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर।

**मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के आरक्षित
स्थानों पर प्रवेश के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र**

**स्थायी प्रमाण पत्र
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी
(प्रमाणीकरण)**

अनुभाग.....जिला.....मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक..... प्रकरण क्रमांक.....
प्रमाण पत्र क्रमांक.....

जाति प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
पुत्र/पुत्री/श्री.....निवासी/ग्राम/शहर.....
तहसील..... जिला.....मध्य प्रदेश के निवासी हैं,
जो.....जाति के हैं जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्य प्रदेश शासन, आदिम
जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-5 पच्चीस 4-84,
दिनांक 26 दिसंबर, 1984, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 23-4-97-चैवन,
दिनांक 2 अप्रैल, 1997 तथा इस संदर्भ में समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं द्वारा अधिमान्य किया
गया है और सूची के क्रमांक..... पर अंकित है।

श्री..... और/या उनका परिवार सामान्यतः मध्यप्रदेश के
जिला संभाग.....में निवास करता हैं

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री..... क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग)
व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के
परिशिष्ट क्र 380/2/22/93 स्था. (एस.सी.टी.) दिनांक 08.09.93 द्वारा जारी सूची के कालम 3-में तथा मध्य
प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के जाप क्रमांक एफ -1/93/26-7 .आ.प्र., दिनांक 8 मार्च 1994 के साथ
संलग्न परिशिष्ट “ई” की अनुसूची के कॉलम (3) में किया गया है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन श्री/श्रीमती/कुमारी.....के परिवार की
कुल वार्षिक आय रुपये.....हैं।

3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह मध्यप्रदेश राज्य में दिनांक..... को
प्रवजन कर चुका है।

दिनांक

(सील)

हस्ताक्षर

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम

पदनाम

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण पत्र

भूतपूर्व सैनिक/मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी/स्थायी रूप से विकलांग प्रतिरक्षा कर्मचारी

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....के पुत्र/ पुत्री (परीक्षार्थी का नाम)..... जो प्रवेश परीक्षा का नाम.....वर्ष.....के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम).....पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार है, श्री/ श्रीमती..... के पिता/माता है जो-

(अ) थलसेना/वायुसेना/नौसेना के/की एक भूतपूर्व सैनिक है। सेवानिवृत्ति/सेवामुक्ति के समय वे.....पद पर थे/थी उनका सर्विक्रमांक.....था।

अथवा

(ब) उन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौसेना में..... पद पर सर्विस क्रमांक..... के अधीन सेवा की है। सेवा के दौरान वे स्थायी रूप से विकलांग हो गए है/सेवा के दौरान उनकी मृत्यु वर्ष उन्होंने में हो चुकी है।

स्थान:

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक:.....

(कार्यालय सील)

मध्यप्रदेश में/मध्यप्रदेश के बाहर अन्य राज्य में कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....के पुत्र/पुत्री (परीक्षार्थी का नाम).....जो प्रवेश परीक्षा का नाम.....वर्ष.....के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम).....पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार हैं, के पिता/माता है जो-

(अ) थलसेना/वायुसेना/नौसेना मेंओहदे पर सर्विस क्रमांक.....के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी है और वे मध्यप्रदेश में स्थित प्रतिरक्षा इकाई में पदस्थ है वे इस इकाई में दिनांक.....से सेवारत है।

अथवा

(ब) उन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौसेना में.....के ओहदे पर सर्विस क्रमांक.....के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी है और वे मध्यप्रदेश राज्य के बाहर स्थित प्रतिरक्षा इकाई में पदस्थ है।

स्थान:

हस्ताक्षर: आफिसर कमांडिंग

दिनांक:.....

(कार्यालय सील)

**भूतपूर्व सैनिक द्वारा स्थाई रूप से मध्यप्रदेश में
व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण पत्र**

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

मेरे समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी(उम्मीदवार का नाम).....जो परीक्षा का नाम.....वर्ष..... के आधार पर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उम्मीदवार से.....पर (पाठ्यक्रम का नाम)..... पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार श्री/कुमारी.....के पिता/माता सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक हैं और स्थायी रूप से.....(स्थान) तहसील.....जिला.....में व्यवस्थापित हो गये हैं।

स्थान:.....

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक:.....

(कार्यालय सील)

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग हेतु प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री /कुमारी) उम्मीदवार का नाम.....(श्री/श्रीमती) उम्मीदवार के पिता /माता का नाम)..... के वैध (Legitimate) पुत्र/ पुत्री हैं।

श्री/श्रीमती (उम्मीदवार के माता/ पिता नाम)

.....श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम)

..... के वैध (Legitimate) पुत्र/ पुत्री हैं।

एवं

श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम)..... का नाम मध्यप्रदेश के जिला.....(जिले का नाम) में संधारित (Maintained) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पंजी (Register) में क्रमांक.....पर पंजीकृत है।

स्थान:.....

हस्ताक्षर कलेक्टर

दिनांक:.....

(कार्यालय सील)

स्थानीय निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण-पत्र

कार्यालय नायब तहसीलदार/ तहसीलदार

टप्पा/ तहसील..... जिला.....

प्र.क्र. वर्ष..... दिनांक.....

स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

यहा आवेदक का
पासपोर्ट साईज का
फोटो लगाया जाये जो
प्राधिकृत अधिकारी
द्वारा सत्यापित
किया जायें

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमति/ कु.....

पिता/पति.....निवासी.....

तहसील.....जिला.....

(मध्यप्रदेश).राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के स्थानीय निवास प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के लिये प्रभावशील ज्ञाप दिनांक..... में निर्धारित मापदण्ड की कण्डिका क्रमांक.....की पूर्ति करने फलस्वरूप मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है।

2.* प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक.....दिनांकके अधीन आवेदक द्वारा दिये विवरण अनुसार की पत्नी/अवयस्क बच्चे जिनका विवरण नीचे वर्णित है, मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है:-

टीप:- यह प्रमाण पत्र जाति निर्धारण के लिये जारी किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र की जांच में साक्ष्य हेतु विचारार्थ ग्राह्य नहीं होगा।

(आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र के आधार पर जारी)

ह.तहसील/नायब तहसीलदार

तहसील.....

जिला.....

* लागू न होने पर काट दें।

* यह प्रमाण पत्र यदि डिजिटल हस्ताक्षर युक्त है तो उसे भी मान्य किया जावेगा।

(मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक, दिनांक 25/09/2014 को जारी निर्देशानुसार स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र संबंधी स्थानीय निवासी हेतु स्व प्रमाणित घोषणा-पत्र)

प्रारूप -6(अ)

**स्थानीय निवासी हेतु
स्व प्रमाणित घोषणा-पत्र
(अस्टाम्पित कागज पर)**

फोटो
स्व प्रमाणित

मैं..... आत्मज/पति श्री..... आयु लगभगवर्ष
शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ कि:-

1. मैं वर्तमान मेंमें निवासरत हूँ।
2. मेरी पत्नि का नाम श्रीमती.....एवं उम्र
लगभग.....वर्ष है।
3. मेरे अवयस्क पुत्र/पुत्री-
 1. श्री/कु.....आयु (लगभग)..... वर्ष
 2. श्री/कु.....आयु (लगभग).....वर्ष
4. (यहाँ मध्यप्रदेश शासन के ज्ञापन क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक, दिनांक 25 सितम्बर 2014 वर्णित निर्देश के अन्तर्गत आवेदक पात्रता की निम्न में से जिन-जिन श्रेणियों में आता है उनका विवरण अंकित करें)
 1. मैं मध्यप्रदेश के मकान नम्बर.....मोहल्ला.....ग्राम.....
तहसील.....जिलामें वर्षमें पैदा हुआ/ हुई हूँ।
 2. मैं मध्यप्रदेश में ग्राम/मोहल्ला.....शहर.....तहसील.....
जिला.....में विगत 10 वर्ष से निरन्तर निवासरत हूँ।
(आवेदक मध्यप्रदेश में कम से कम 10 वर्ष निरन्तर निवासरत हो। यदि 10 वर्ष की अवधि में एक से अधिक स्थानों पर निवासरत रहे तो कब से कब तक कहाँ-कहाँ निवासरत रहे इसका पूर्ण विवरण अंकित किया जाये)
 3. मैं राज्य शासन की सेवा में वर्तमान में पद का नाम कार्यालय का नामविभाग का नाम के पद पर पदस्थ हूँ/से सेवानिवृत्त हुआ हूँ।
 4. मैं मध्यप्रदेश शासन के अन्तर्गत स्थापित.....नामक संस्था/निगम/मण्डल/आयोग में.....पद पर..... कार्यालय में सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारी हूँ।

(कार्यरत/सेवानिवृत्त पद के नाम के साथ कार्यरत कार्यालय/जिस कार्यालय से सेवानिवृत्त हुए उसका पूर्ण विवरण दें।

-2-

5. मैं केन्द्र शासन केविभाग में के पद परकार्यालय..... तहसील..... जिला..... के पद पद 10 वर्ष से पदस्थ होकर कार्यरत हूँ।
(कार्यरत पद का नाम एवं कार्यालय का विवरण तथा पता)
6. मैं अखिल भारतीय सेवाओं के मध्यप्रदेश राज्य को आवंटित (आवंटन वर्षबैंच) अधिकारी हूँ।.....पद पर..... कार्यालय/मंत्रालय..... में पदस्थ हूँ/से सेवानिवृत्त हुआ हूँ।
(कार्यरत/सेवानिवृत्त कार्यालय का पूर्ण विवरण कार्यरत पद का नाम)
7. मैं मध्यप्रदेश में संवैधानिक/विधिक.....पद पर महामहिम राष्ट्रपति/महामहिम राज्यपाल द्वारा नियुक्त हूँ।
(पद,कार्यालय का पूर्ण विवरण दिया जाये)
8. मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ तथा मैंने मध्यप्रदेश में 5 वर्षों तक (अवधि.....) निवास किया है/अथवा मेरे परिजन मध्यप्रदेश में पहले से ही निवासरत हैं। (इसकी पुष्टि हेतु सैनिक कल्याण संचालनालय का प्रमाण-पत्र संलग्न करें)।

हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं.....आत्मज/पति/श्री..... आयु.....वर्ष..... निवासी सत्यापन करता/करती हूँ कि घोषणा-पत्र की कण्डिका 1/2/3/4/5/6/7/8 में उल्लेखित जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य है। इसमें न कोई सारवान तथ्य छुपाया गया है और न ही असत्य तथ्य अंकित किया गया है। मुझे यह ज्ञान है कि मेरे द्वारा असत्य या भ्रामक जानकारी देने पर मेरे विरुद्ध आपराधिक/दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। साथ ही मुझे प्राप्त समस्त लाभ भी वापिस लिये जायेंगे।
सत्यापन आज दिनांकवर्ष को स्थान..... में किया गया।

हस्ताक्षर

(जो लागू हो केवल उसी का उल्लेख घोषणा -पत्र में किया जाये)

जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित उम्मीदवार संबंधी प्रमाण-पत्र

Office of the Zonal Officer

TO WHOM IT MAY CONCERN

Certified that
S/o or D/o
R/oTehsil
District..... A/P.....
Pin is registered from No.
R/Card No..... At
S. No. of his/her father ration card issued
from this zone.

Seal of Tehshildar

Zonal Officer / Tehshildar

मध्यप्रदेश के अधिकारी/कर्मचारी जिनकी पदस्थापना आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण हेतु जम्मू एवं कश्मीर राज्य में की गई का प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
आत्मज/आत्मजा/श्री

जो (परीक्षा का नाम) वर्ष के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम)में जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित उम्मीदवारों की सीटों के विरुद्ध प्रवेश का उम्मीदवार है ।

श्री..... (उम्मीदवार का नाम) के पिता/माता श्री/श्रीमती..... मध्यप्रदेश सेवा के अधिकारी/कर्मचारी है जिनकी पदस्थापना जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण हेतु दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में रही है ।

स्थान

दिनांक.....

हस्ताक्षर

(सील)

**राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक अर्जित करने वाले
खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र**

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....

आत्मज/ आत्मजा/ श्री.....ने वर्ष

की.....मे भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं

खेल विभाग नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त खेल संगठनों के अधिकार पत्र पर

आयोजित.....राष्ट्रीय प्रतियोगिता में

.....स्वर्ण पदक अर्जित किया है।

स्थान

संचालक

दिनांक

खेल और युवक कल्याण, मध्यप्रदेश

हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा

नोट:- ओपन, जूनियर, सीनियर एवं नेशनल गेम्स राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के अतिरिक्त अन्य राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को इस हेतु राष्ट्रीय प्रतियोगिता की श्रेणी में नहीं माना जावेगा ।

आय बाबत स्व प्रमाणित घोषणा-पत्र
(सादे कागज पर)

मैं..... आत्मज श्री.....आयुवर्ष शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ कि:-

1. मैं वर्तमान में में निवासरत हूँ।
2. मेरी नाम से ग्राम..... में हैकटेयर/एकड़ कृषक भूमि है ,जिससे मुझे रुपये.....शब्दों में.....की वार्षिक आय होती है।
3. मेरा व्यवसाय..... है, इससे मुझे वार्षिक आय रुपये.....शब्दों मेंहै।
4. गृह संपत्ति से मेरी वार्षिक आय रुपये..... शब्दों में है।
5. मेरे परिवार निम्नानुसार सदस्य हैं:-
1.....2.....3.....4.....5

(परिवार से आशय पति/पत्नि/अवयस्क पुत्र/पुत्री/आश्रित माता या पिता से है)

6. मेरे परिवार के उक्त समस्त सदस्यों की कुल वार्षिक आय रुपयेशब्दों में.....है।
7. मैंने इस शपथ-पत्र के पूर्व कोई आय प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया है/शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।
अथवा
8. मैंने इस शपथ-पत्र के पूर्व लगभग समय पूर्व एक आय प्रमाण -पत्र/शपथ-पत्र राशि.....रुपये वार्षिक का प्राप्त किया/दिया था। मेरी आय अब परिवर्तित हो गई है। अतः परिवर्तित आय राशि वार्षिक का आय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

(बिन्दु क्रमांक 7 एवं 8 में जो लागू न हो उसे काट दें।)

हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं.....आत्मज/पति श्री.....आयु.....वर्ष, निवासीसत्यापन करता/करती हूँ कि शपथ-पत्र की कण्डिका 1 से 8 तक में उल्लेखित जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य है। इसमें न कोई तथ्य छुपाया गया है और न ही असत्य तथ्य अंकित किया गया है। मुझे यह ज्ञान है कि मेरे द्वारा असत्य या भ्रामक जानकारी देने पर मेरे विरुद्ध आपराधिक/दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। साथ ही मुझे प्राप्त समस्त लाभ भी वापिस लिये जायेंगे। सत्यापन आज दिनांकवर्ष को स्थान.....में किया गया।

हस्ताक्षर

(सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ 07.11/2019/आ.प्र./एक, दिनांक 02 जुलाई 2019 का

संलग्नक

मध्यप्रदेश शासन

कार्यालय का नाम.....

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र
प्रमाण-पत्र संख्या..... दिनांक.....

वित्तीय वर्ष.....के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है, कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....

पुत्र/पति/पत्नी..... ग्राम/कस्बा.....

पोस्ट ऑफिस.....थाना..... तहसील.....

राज्य.....पिन कोड..... के स्थायी निवासी है,
जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य है, क्योंकि
वित्तीय वर्ष.....में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 08 लाख (आठ लाख रुपये
मात्र) से कम हैं। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं
है:-

1. जिसके पास 5 एकड़ या उससे अधिक भूमि हो (जिसके खसरे में तीन साल से लगातार उसर, पथरीलीय बीहड़ भूमि अंकित हो, वह भूमि में शामिल नहीं होगी, ।
2. जिसके पास 1200 वर्गफुट से अधिक का आवासीय मकान/ फ्लैट हो। नगर निगम क्षेत्र में स्थित हो।
3. जिसके पास नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्गफुट से अधिक का आवासीय मकान/ फ्लैट हो।
4. नगर परिषद क्षेत्र में जिसके पास 1800 वर्गफुट से ज्यादा का आवासीय मकान/फ्लैट हो।

2. श्री / श्रीमती/ कुमारी..... जातिके सदस्य है जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं है।

आवेदक का पासपोर्ट साईज का
अभिप्रमाणित फोटोग्राफ

हस्ताक्षर(कार्यालय का मुहुर सहित)

पूरा नाम.....

पदनाम.....

अनुविभागीय अधिकारी/ तहसीलदार

तालिका -1

Minimum qualification for admission in different Branch of B.E./B.Tech. course

बी.ई./बी.टेक. पाठ्यक्रम की विभिन्न ब्रांच में प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता

क्रमांक	ब्रांच	Mandatory Courses at 10+2 Level	other relevant course (s) for the discipline
1	AERONAUTICAL	Phy, Chem, Maths	NA
2	AUTOMOBILE ENGINEERING	Phy, Chem, Maths	NA
3	CHEMICAL ENGINEERING	Phy, Chem, Maths	NA
4	CIVIL & RURAL ENGG.	Phy, Chem, Maths	NA
5	FIRE TECH & SAFETY	Phy, Chem, Maths	NA
6	INDUSTRIAL & PRODUCTION ENGINEERING	Phy, Chem, Maths	NA
7	INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT	Phy, Chem, Maths	NA
8	MECHANICAL AND AUTOMATION ENGINEERING	Phy, Chem, Maths	NA
9	MECHATRONICS ENGINEERING	Phy, Chem, Maths	NA
10	MINING AND MINERAL PROCESSING	Phy, Chem, Maths	NA
11	MINING ENG	Phy, Chem, Maths	NA
12	PETRO CHEMICAL ENGG (PCE)	Phy, Chem, Maths	NA
13	PETROCHEMICAL TECHNOLOGY	Phy, Chem, Maths	NA
14	PRODUCTION ENGG	Phy, Chem, Maths	NA
15	SAFETY AND FIRE ENGINEERING	Phy, Chem, Maths	NA
16	TEXTILE TECHNOLOGY	Phy, Chem, Maths	NA
17	CIVIL ENGINEERING	Phy, Chem, Maths	NA
18	MECHANICAL ENGINEERING	Phy, Chem, Maths	NA
19	3D ANIMATION & GRAPHICS	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
20	APPLIED ELECTRONICS & INSTRUMENTATION	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
21	ARTIFICIAL INTELLIGENCE	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
22	ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) AND DATA SCIENCE	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
23	ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
24	ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
25	ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ROBOTICS	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
26	AUTOMATION AND ROBOTICS	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
27	BIOMEDICAL AND ROBOTIC ENGINEERING	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
28	BIO-MEDICAL ENGINEERING	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
29	COMPUTER	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
30	COMPUTER ENGINEERING	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
31	COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING (REGIONAL COURSES)	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
32	COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING (WITH SPL IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE & DATA SCIENCE)	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
33	COMPUTER SCIENCE AND BUSINESS SYSTEM	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
34	COMPUTER SCIENCE AND DESIGN	Phy, Maths	For remaining single course select any

			course out of 14#
35	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	Phy, Maths	For remaining Single Course select any courses out of 14 #
36	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING)	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
37	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (BLOCK CHAIN)	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
38	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY)	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
39	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING(DATA SCIENCE)	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
40	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING(INTERNET OF THINGS AND CYBER SECURITY INCLUDING BLOCK CHAIN TECHNOLOGY)	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
41	COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
42	COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
43	CONSTRUCTION AUTOMATION	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
44	CYBER SECURITY	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
45	DATA SCIENCE	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
46	ELECTRIC VEHICLES	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
47	ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
48	ELECTRICAL ENGINEERING (INTERNET OF THINGS)	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
49	ELECTRONICS & INSTRUMENTATION	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
50	ELECTRONICS & TELECOMMUNICATION	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
51	ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
52	ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
53	INFORMATION TECHNOLOGY	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
54	INFORMATION TECHNOLOGY (INTERNET OF THINGS(IOT))	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
55	INFORMATION TECHNOLOGY(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ROBOTICS)	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
56	INTERNET OF THINGS	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
57	INTERNET OF THINGS(IOT)	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
58	MATHEMATICS AND COMPUTING	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
59	ROBOTICS AND MECHATRONICS	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
60	ELECTRICAL ENGINEERING	Phy, Maths	For remaining Single Course select any courses out of 14 #
61	ELECTRONICS	Phy, Maths	For remaining Single Course select any courses out of 14 #
62	ELECTRONICS	Phy, Maths	For remaining Single Course select any courses out of 14 #
63	BIO-TECHNOLOGY	Phy, Chem	Select any one from bio/biotechnology/Maths

64	AGRICULTURE ENGINEERING	Phy, Chem or Agriculture stream	Maths/Biology/Biotechnology/Agriculture/Agriculture stream
65	AGRI. TECH.	Phy, Chem, OR Agriculture Stream	Maths/Biology/Biotechnology/Agriculture/Agriculture stream
66	AGRICULTURAL ENGINEERING	Phy, Chem, OR Agriculture Stream	Maths/Biology/Biotechnology/Agriculture/Agriculture stream
67	FOOD TECHNOLOGY	Chem	For remaining two course select any course out of 14#
68	Biomedical Engineering (Indian Language-Hindi)	Phy, Maths	For remaining single course select any courses out of 14#
69	Computer Science and Engineering-Indian language (Hindi)	Phy, Maths	For remaining single course select any courses out of 14#
70	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE)	Phy, Chem, Maths	NA
71	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE)	Phy, Chem, Maths	NA
72	ELECTRONICS AND COMPUTER SCIENCE	Phy, Chem, Maths	NA

नोट - उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य ब्राचों के लिये भौतिक, रसायन एवं गणित विषयों की अनिवार्यता रहेगी।

Physics/Mathematics/Chemistry/Computer Science/Electronics/Information Technology/ Biology /Informatics Practices/ Biotechnology/Technical vocational Subject/Agriculture/Engineering Graphics/ Business Studies/Entrepreneurship

DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION, MADHYA PRADESH
TENTATIVE SEATS IN B.E./B.Tech COURSE FOR THE SESSION 2023-2024

S.No.	Institute Name	Branch	Intake
Government Aided			
1	Madhav Institute of Technology and Science, Gwalior (1957)	AIAIDS	60
		AIML	60
		AUTO	60
		CE	120
		CHEM	60
		CSD	60
		CSE	120
		EE	120
		EEIOT	60
		EL	120
		Electronics and Telecommunications	60
		IT	60
		ITAIAR	60
		ITIOT	60
		MAC	60
		MECH	120
2	Samrat Ashok Technological Institute, Vidisha (1960)	AG	60
		AIADS	60
		CE	60
		CSE	120
		CSEBC	60
		EC	60
		EE	60
		EI	60
		INOT	60
		IT	60
		MECH	120
		3	Shri G.S. Institute of Technology & Science, Indore (M.P.) (1952)
BM	30		
CE	90		
CSE	120		
EE	90		
EI	90		
Electronics and Telecommunications	90		
IP	90		
IT	120		
MECH	90		
Government Autonomous			
1	Indira Gandhi Engineering College, Sagar (IGEC) (1981)	CE	60
		EC	60

S.No.	Institute Name	Branch	Intake
		EE	60
		IT	60
		MECH	60
2	Jabalpur Engineering College, Jabalpur, (JEC) (1947)	AIAIDS	60
		CE	60
		CSE	90
		EC	90
		EE	60
		IP	90
		IT	90
		MECH	80
		MTENG	60
3	Nowgong Engineering College, Nowgong (NEC) (2012)	CE	39
		MECH	39
4	Rewa Engineering College, Rewa (REC) (1964)	CE	60
		CSE	60
		EC	60
		EE	60
		MECH	60
5	UJJAIN ENGINEERING COLLEGE (FORMERLY GOVT. ENGG. COLLEGE ESTB. IN 1966)	CE	30
		CHEM	60
		CSE	60
		EC	60
		EE	60
		MECH	60
Private			
1	Acropolis Institute of Technology & Research, Indore (2005)	CE	60
		CSE	240
		CSECS	60
		CSEDS	60
		CSEIL	60
		CSEIML	120
		CSIT	120
		EC	60
		IT	120
		MECH	60
2	Adina Institute of Science & Technology, Sagar (2009)	CE	60
		CSE	60
		ELECT ELEX	60
		MECH	60
3	Aditya College of Technology & Science, Satna (2007)	AGRITECH	60
		CE	60
		CSE	60
		ELECT ELEX	60
		FTS	60
		MECH	60

S.No.	Institute Name	Branch	Intake
		MINING	60
4	All Saints College of Technology, Bhopal (2002)	CE	120
		CSE	120
		EC	60
		ELECT ELEX	60
		MECH	120
5	Alpine Institute of Technology, Ujjain (2007)	CE	60
		CSE	60
		EC	30
		EE	60
		IT	30
		MECH	60
6	Annie Institute of Technology and Research Centre, Chhindwara (2013)	AUTO	30
		CE	60
		CSE	60
		EC	30
		MECH	60
7	Astral Institute of Technology & Research, Indore (2006)	CE	60
		CSE	120
		EC	90
		IT	60
		MECH	120
8	Babulal Tarabai Institute of Research & Technology, Sagar (2008)	CE	60
		CSE	60
		CSEIML	30
		EC	60
		ELECT ELEX	30
		MECH	60
9	BADERIA GLOBAL INSTITUTE OF ENGINEERING & MANAGEMENT, JABALPUR	CE	60
		CSE	180
		CSEDS	30
		CSEIML	60
		CSEITCS	60
		EC	60
		IT	30
		MECH	60
10	Bagulamukhi College of Technology, Bhopal (2009)	CE	60
		CSE	60
		EE	30
		MECH	60
11	Bansal College of Engineering, Obedullaganj, Raisen (2002)	CE	30
		CSE	180
		EC	30
		ELECT ELEX	30
		MECH	30
12	Bansal Institute of Research & Technology, Bhopal (2007)	CE	60

S.No.	Institute Name	Branch	Intake
		CSE	120
		EC	30
		ELECT ELEX	30
		MECH	60
13	Bansal Institute of Research Technology & Science, Bhopal (2008)	CE	60
		CSE	180
		MECH	60
14	Bansal Institute of Science & Technology, Bhopal (2000)	CE	60
		CSE	120
		EC	30
		ELECT ELEX	30
		IT	60
		MECH	60
15	Bethesda Institute of Technology and Science, Gwalior (2011)	CE	50
		CSE	50
		EC	60
		ELECT ELEX	60
		MECH	50
16	Bhopal Institute of Technology & Management, Bhopal (2009)	CSE	30
		EC	30
		ELECT ELEX	30
		MECH	30
17	Bhopal Institute of Technology & Science, Bhopal (2002)	CE	60
		CSE	90
		EC	30
		ELECT ELEX	90
		MECH	90
18	Bhopal Institute of Technology, Bhopal (2007)	CSE	90
		EC	30
		ELECT ELEX	90
		MECH	90
19	BM College of Technology, Indore (2007)	CE	60
		CSE	120
		EC	30
		ELECT ELEX	30
		IT	30
		MECH	120
20	Chameli Devi Group of Institutions, Indore (2006)	AIADS	60
		CE	30
		CSE	180
		CSIT	90
		EC	60
		IT	60
		MECH	60
21	Corporate Institute of Science & Technology, Bhopal (2008)	AIAIDS	60
		CE	60

S.No.	Institute Name	Branch	Intake
		CSE	60
		EC	60
		ELECT ELEX	60
		MECH	60
22	Girdhar Siksha Evam Samaj Kalyan Samiti Group of Institutions, Mandideep, Raisen (2009)	CE	60
		CSE	120
		EC	60
		MECH	60
23	Global Institute of Engineering & Science, Barwani (2008)	CE	30
		CSE	60
		EC	30
		EE	60
		FTS	30
		MECH	30
24	Guru Ramdas Khalsa Institute of Science & Technology, Jabalpur (1997)	AIADS	30
		CE	30
		CSE	60
		ELECT ELEX	30
		MECH	30
25	Gwalior Institute of Information Technology, Gwalior (2008)	AEIE	30
		CE	60
		CSE	60
		EC	60
		IT	60
		MECH	60
26	Gyan Ganga College of Technology, Jabalpur (2006)	CE	60
		CSE	180
		EC	60
		MECH	60
27	Gyan Ganga Institute of Technology & Science, Jabalpur (2003)	AIR	60
		CE	60
		CSBS	60
		CSD	60
		CSE	180
		CSEDS	60
		CSEIML	120
		CSEITCS	60
		EC	120
		EE	60
		ELECT ELEX	60
		MECH	60
28	Gyan Sagar College of Engineering, Sagar (2009)	CE	60
		CSE	60
		CSEAI	60
		ELECT ELEX	60
		MECH	60

S.No.	Institute Name	Branch	Intake
29	Hitkarni College of Engineering & Technology, Jabalpur (1997)	CE	60
		CSE	60
		EC	30
		ELECT ELEX	30
		IT	30
		MECH	60
30	IASSCOM fortune Institute of Technology, Bhopal (2008)	CE	60
		CSE	60
		EC	45
		MECH	60
31	IES College of Technology, Bhopal (2007)	CE	120
		CSBS	60
		CSE	180
		CSECS	60
		CSEDS	60
		CSEIML	60
		EC	120
		ELECT ELEX	120
		MECH	120
32	Indore Institute of Science & Technology, Indore (2003)	AIML	60
		CE	30
		CHEM	30
		CSE	180
		CSEITCS	60
		EC	60
		IT	60
		MECH	60
33	Infinity Management & Engineering College, Sagar (2008)	CE	60
		CSE	60
		EC	30
		EE	30
		MECH	60
34	Institute of Technology and Management, Gwalior (1997)	CE	30
		CSE	180
		CSEDS	30
		CSEIML	30
		CSEIOT	30
		EC	60
		IT	120
		MECH	30
35	IPS Academy, Institute of Engineering and Science, Indore (1999)	AGE	60
		CE	60
		CHEM	30
		CSE	180
		CSEDS	120
		CSEIML	120

S.No.	Institute Name	Branch	Intake
		CSEIOT	60
		CSEITCS	60
		CSERC	60
		CSIT	180
		EC	60
		ELECT ELEX	30
		FTS	120
		MECH	60
36	IPS College of Technology & Management, Gwalior (2007)	CE	60
		CSE	120
		EC	30
		EE	60
		MECH	60
37	Jai Narain College of Technology, Bhopal (2003)	AIAIDS	60
		AIML	90
		CSE	180
		EC	30
		MECH	30
38	JAWAHARLAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, BORAWAN(M.C.A.)	CSEDS	60
		CSEIML	60
39	Jawaharlal Institute of Technology, Borawan, Khargone (1997)	AGE	60
		CE	90
		CSE	120
		EC	60
		ELECT ELEX	60
		IT	60
		MECH	60
40	Jawaharlal Nehru College of Technology, Rewa (2007)	CE	120
		CSE	90
		EC	45
		ELECT ELEX	60
		MECH	90
		MINING	60
41	Kailash Narayan Patidar College of Science & Technology, Bhopal (2008)	CE	60
		CSE	60
		EC	60
		EE	60
		MECH	90
42	Kopal Institute of Science & Technology, Bhopal (2009)	CE	60
		CSE	60
		ELECT ELEX	60
		MECH	60
43	Lakshmi Narain College of Technology & Science (RIT), Indore (2002)	CE	30
		CSE	90
		EC	30
		MECH	30

S.No.	Institute Name	Branch	Intake
44	Lakshmi Narain College of Technology & Science, Bhopal (2006)	CE	30
		CSE	180
		CSECS	120
		CSEIML	180
		EC	30
45	Lakshmi Narain College of Technology Excellence, Bhopal (2007)	CSE	180
		CSEDS	120
		CSEIML	120
		EC	30
		MECH	30
46	Lakshmi Narain College of Technology, Bhopal (1994)	AIADS	180
		CE	60
		CSE	360
		CSEIML	180
		CSEITCS	180
		EC	180
		EE	30
		ELECT ELEX	30
		MECH	60
47	Lakshmi Narain College of Technology, Indore (2004)	AUTO	30
		CSE	120
		EC	30
		ELECT ELEX	30
		IT	30
		MECH	60
48	Lakshmi Narain College of Technology, Jabalpur (2008)	CE	60
		CSE	60
		CSEIML	60
		MECH	60
		MMP	60
49	Laxmipati Institute of Science & Technology, Bhopal (2008)	CE	60
		CSE	60
		EC	30
		ELECT ELEX	60
		MECH	60
50	LNCT (BHOPAL) INDORE CAMPUS (2006)	CE	30
		CSE	60
		EC	30
		MECH	30
51	Mahakal Institute Technology & Management, Ujjain (2007)	CE	30
		CSE	120
52	Mahakal Institute of Technology, Ujjain (2001)	AIADS	60
		CE	60
		CSE	180
		EC	60
		ELECT ELEX	60

S.No.	Institute Name	Branch	Intake
		IT	60
		MECH	60
53	Maharana Pratap College of Technology, Gwalior (1996)	CE	60
		CSE	60
		EC	30
		EE	30
		IT	30
		MECH	60
54	Malwa Institute of Science & Technology, Indore (2008)	CE	60
		CSE	120
		EC	60
		IT	60
		MECH	60
55	Malwa Institute of Technology, Indore (2004)	AUTO	30
		CE	60
		CSE	120
		EC	60
		ELECT ELEX	60
		IT	60
		MECH	120
56	Mathura Devi Institute of Technology & Management, Indore (2007)	CE	30
		CSE	60
		MECH	30
57	Millenium Institute of Technology and Science, Bhopal (2007)	AIML	30
		CE	90
		CSE	120
		EC	90
		ELECT ELEX	90
		MECH	90
58	Millenium Institute of Technology, Bhopal (2009)	AIADS	30
		CE	90
		CSE	90
		MECH	90
59	Mittal Institute of Technology, Bhopal (2007)	CE	60
		CSE	60
		EC	30
		EE	30
		MECH	60
60	Nagaji Institute of Technology & Management, Gwalior (2003)	CE	60
		CSE	90
		EC	60
		EE	30
		IT	30
		MECH	60
61	NRI Institute of Information Science & Technology, Bhopal (2001)	CE	60
		CSE	120

S.No.	Institute Name	Branch	Intake
		CSEIML	60
		EC	60
		ELECT ELEX	60
		IT	60
		MECH	60
62	NRI Institute of Research & Technology, Bhopal (2008)	CE	30
		CSE	120
		CYSEC	60
		EC	30
		EE	60
		MECH	30
		MINING	60
63	Oriental College of Technology, Bhopal (2002)	CE	30
		CSE	180
		CSECS	60
		CSEDS	120
		EC	60
		ELECT ELEX	60
		IT	120
		MECH	30
64	Oriental Institute of Science & Technology, Bhopal (1995)	AUTO	60
		CE	90
		CSBS	60
		CSE	180
		CSEDS	60
		CSEIML	180
		EC	120
		ELECT ELEX	90
		IT	120
		MECH	120
65	Oriental Institute of Science & Technology, Jabalpur (2008)	CE	30
		CSE	30
		EC	30
		ELECT ELEX	30
		MECH	30
66	Patel College of Science & Technology, Bhopal (2002)	CSE	120
		CSEIML	60
		EC	60
		MECH	60
67	Patel College of Science & Technology, Indore (2005)	CE	60
		CSE	120
		CSEIML	60
		CSEITCS	60
		EC	60
		MECH	60
68	Prashantee Institute of Technology & Science, Ujjain	AIAIDS	60

S.No.	Institute Name	Branch	Intake
	(2008)	CE	60
		CSE	60
		EC	60
		MECH	60
69	Prestige Institute of Engineering Management and Research, Indore (2008)	AIADS	60
		ARE	60
		CE	60
		CSE	180
		EC	60
		EE	60
		MECH	60
70	PT. DEVPRABHAKAR SHASTRI COLLEGE OF TECHNOLOGY, Chhatarpur (2010)	CE	42
		CSE	42
		EC	30
		EE	30
		IT	42
		MECH	42
71	Radha Raman Institute of Technology, & Science, Bhopal (2003)	CE	60
		CSE	180
		EC	30
		ELECT ELEX	60
		MECH	60
72	Radharaman Engineering College, Bhopal (2006)	CE	60
		CSE	120
		ELECT ELEX	30
		MECH	60
73	Rajeev Gandhi Prodyogiki Mahavidhyalaya, Bhopal (2006)	CE	60
		CSE	30
		EC	60
		EE	30
		MECH	120
74	Rewa Institute of Technology, Rewa (2003)	CE	60
		CSE	120
		EC	120
		EE	60
		IT	120
		MECH	120
75	Sagar Institute of Research & Technology - Excellence, Bhopal (2008)	AIADS	60
		CE	30
		CSE	180
		MECH	30
76	Sagar Institute of Research & Technology, Bhopal (2003)	AIML	120
		CE	60
		CSBS	60
		CSE	180
		CSECS	120

S.No.	Institute Name	Branch	Intake
		CSIT	180
		EC	60
		ELECT ELEX	60
		MECH	60
77	Sagar Institute of Science & Technology (SISTEC) Bhopal (2007)	CE	60
		CSE	180
		CSEAIADS	60
		CSECS	30
		EC	60
		ELECT ELEX	60
		MECH	90
78	Sagar Institute of Science Technology & Research, (SISTec-R), Bhopal (2009)	CE	90
		CSE	120
		CSEIML	30
		EC	60
		MECH	60
79	Sagar Institute of Science, Technology & Engineering(SISTec-E), Bhopal (2009)	CSE	60
		CSEIOT	60
		EC	60
		EE	90
		MECH	90
80	Sanghvi Institute of management & Science, Indore (2006)	CE	120
		CSE	90
		EC	60
		IT	60
		MECH	120
81	Saraswati Institute of Engineering & Technology, Jabalpur (2008)	CE	30
		CSE	30
		EC	30
		ELECT ELEX	30
		IT	30
		MECH	30
82	SATPUDA COLLEGE OF ENGINEERING AND POLYTECHNIC, BALAGHAT	CSE	120
		MINING	60
83	Scope College of Engineering Bhopal (2005)	CSE	90
		EC	60
		ELECT ELEX	60
		MECH	90
84	SGBM Institute of Technology & Science, Jabalpur (2008)	CE	60
		CSE	60
		EC	60
		MECH	60
85	Sha-Shib College of Technology, Bhopal (2009)	CE	30
		CSE	60
		EC	60
		MECH	60

S.No.	Institute Name	Branch	Intake
86	Shiv Kumar Singh Institute of Technology & Science, Indore (2007)	CE	60
		CSE	60
		EC	30
		ELECT ELEX	30
		FTS	60
		IT	30
		MECH	60
87	Shivajirao Kadam Institute of Technology and Management-Technical Campus, Indore (2009)	CE	90
		CSE	180
		EC	60
		MECH	90
88	Shreejee Institute of Technology and Management, Khargone (2010)	CE	48
		CSE	48
		EC	48
		ELECT ELEX	48
		MECH	30
89	Shri Balaji Institute of Technology & Management, Betul (2009)	AIAIDS	60
		CE	60
		CSE	60
		ELECT ELEX	60
		MECH	60
90	Shri Dadaji Institute of Technology & Science, Khandwa	CE	60
		CSE	90
		DS	30
		EC	30
		ELECT ELEX	60
		MECH	60
91	Shri Guru Sandipani Institute of Technology & Science, Ujjain (2009)	CE	60
		CSE	120
		EC	60
		MECH	60
92	Shri Ram College of Engineering & Management, Banmore (1998)	AIML	60
		CSE	120
		EC	60
		MECH	60
93	Shri Ram College of Technology, Bhopal (2009)	CE	30
		CSE	30
		EC	30
		ELECT ELEX	60
		MECH	60
94	Shri Ram Group of Institution (Faculty of Engineering, Pharmacy, MBA, MCA), Jabalpur (2009)	AIAIDS	60
		CE	30
		CSE	180
		EC	60
		EE	30
		MECH	60

S.No.	Institute Name	Branch	Intake
95	Shri Ram Institute of Information Technology, Banmore, Morena (2007)	AIAIDS	60
		CE	60
		CSE	60
		EC	60
		MECH	60
96	Shri Ram Institute of Science & Technology, Jabalpur (2007)	CE	60
		CSE	180
		EC	60
		MECH	60
97	Shri Ram Institute of Technology, Jabalpur (2001)	CE	60
		CEng	90
		CSE	180
		EC	120
		EE	60
		MECH	90
98	SHRI RAMA KRISHNA COLLEGE OF ENGINEERING SCIENCE AND MANAGEMENT (SRKCESM), SATNA	CSE	60
		EE	60
		MECH	60
99	Shri Rawatpura Sarkar Institute of Technology & Science, Datia (2002)	CE	30
		CSE	30
		EC	30
		MECH	30
100	Shri Yogendra Sagar Institute of Technology & Science, Ratlam (2008)	CE	30
		CSE	60
		EC	30
		EE	30
		IT	30
		MECH	30
101	Srajan Institute of Tech., Management & Science, Ratlam (2009)	CE	60
		CSE	60
		EV	60
		IT	30
		MECH	60
102	Sri Aurobindo Institute of Technology, Indore (2009)	AIML	30
		CE	30
		CSE	180
		EC	30
		ELECT ELEX	30
		MECH	30
103	Sri Parashuram Institute of Technology & Research, Khandwa (2013)	CE	30
		CSE	30
		ELECT ELEX	30
		MECH	30
104	St. Aloysius Institute of Technology, Jabalpur (2009)	CE	60
		CSE	60
		ELECT ELEX	30

S.No.	Institute Name	Branch	Intake
		MECH	60
105	Surabhi College of Engineering & Technology, Bhopal (2008)	CE	30
		CSE	60
		ELECT ELEX	30
		MECH	60
106	Sushila Devi Bansal College of Engineering, Indore (2006)	CE	60
		CSE	180
		MECH	60
107	Sushila Devi Bansal College of Technology, indore (2005)	CE	60
		CSE	180
		EC	30
		IT	60
		MECH	90
108	Swami Vivekanand College of Engineering, Indore (2004)	CE	60
		CSE	180
		EC	60
		ELECT ELEX	60
		IT	120
		MECH	60
109	Swami Vivekanand College of Science & Technology, Bhopal (2006)	CE	30
		CSE	30
		EC	30
		IT	15
		MECH	30
110	Synergy Institute of Technology, Dewas (2008)	CE	30
		CSE	30
		EC	60
		ELECT ELEX	30
		MECH	60
111	Takshshila Institute of Engineering & Technology, Jabalpur (2004)	CE	60
		CSE	120
		EC	60
		ELECT ELEX	60
		MECH	90
112	Technocrats Institute of Technology & Science, Bhopal (2007)	CE	60
		CSE	180
		CSEIML	120
		EC	60
		ELECT ELEX	60
		MECH	60
113	Technocrats Institute of Technology (Excellence), Bhopal (2007)	CE	60
		CSE	180
		CSEIML	180
		EC	60
		EE	60
		MECH	60

S.No.	Institute Name	Branch	Intake
114	Technocrats Institute of Technology, Bhopal (2000)	CE	60
		CSE	180
		CSEAI	60
		CSEAIADS	120
		CSEDS	180
		CSEIML	180
		EC	60
		ELECT ELEX	60
		IT	120
		MECH	60
115	TECHNOCRATS INSTITUTE OF TECHNOLOGY-COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING, BHOPAL	CE	60
		CSE	180
		CSEIML	60
116	Thakur Shiv Kumar Singh Memorial Engineering College, Burhanpur (2011)	CE	60
		CSE	90
		EC	30
		EE	30
		MECH	60
117	Trinity Institute of Technology & Research, Bhopal (2008)	CE	60
		CSE	120
		CSEDS	60
		EC	30
		ELECT ELEX	60
		MECH	90
118	Truba Institute of Engineering & Information Technology, Bhopal (2001)	AIADS	60
		AIR	30
		CE	60
		CSBS	60
		CSE	120
		EC	60
		ELECT ELEX	60
		MECH	60
119	Vaishnavi Institutes of Technology and Science, Raisen (2010)	AIML	60
		CE	60
		CSE	60
		EE	60
		MECH	120
120	Vidhyapeeth Institute of Science & Technology, Bhopal (2009)	CE	60
		CSE	60
		EC	30
		ELECT ELEX	60
		MECH	90
121	Vikrant Institute of Technology & Management Indore (2007)	CE	60
		CSE	90
		EC	60
		ELECT ELEX	60

S.No.	Institute Name	Branch	Intake
		FTS	60
		IT	30
		MECH	120
122	Vikrant Institute of Technology & Management, Gwalior (2009)	CE	90
		CSE	120
		EC	45
		EE	30
		FTS	30
		IT	30
		MECH	90
123	Vindhya Institute of Technology & Science, Satna (2002)	CSE	120
		EE	60
		MECH	120
124	VNS GROUP OF INSTITUTIONS, BHOPAL (2006)	CE	60
		CSE	90
		EC	30
		ELECT ELEX	30
		MECH	60
		MINING	60
Self Financing			
1	Rustamji Institute of Technology, Tekanpur, Gwalior (1999)	AUTO	30
		CSE	30
		EC	60
		EE	30
		IT	30
		MECH	30
University Owned			
1	Institute of Engineering and Technology, DAVV, Indore (1996)	CE	60
		CSE	120
		EI	60
		ET	120
		IT	120
		MECH	60
2	Institute of Engineering Jiwaji University, Gwalior (1996)	CHEM	40
		CSE	60
		EL	60
3	Institute of Peoples Science and Technology, Chitrakoot, Satna (1991)	CERE	60
		FOOD	60
		IT	60
4	School of Engineering and Technology, Vikram University, Ujjain (2011)	AG	30
		CE	54
		EC	54
		ECS	54
		EE	54
		MECH	54
5	SCHOOL OF INFORMATION TECHNOLOGY, RGPV BHOPAL	CSBS	60

S.No.	Institute Name	Branch	Intake
		CSEDS	60
		CSEIML	60
6	University Institute of Technology Barkatullah University, Bhopal (1997)	CE	60
		CSE	60
		EC	60
		IT	60
		MECH	60
7	University Institute of Technology RGPV, Bhopal (1986)	AUTO	60
		CE	60
		CSE	120
		EC	120
		ELECT ELEX	60
		IT	60
		MECH	60
		PCT	60
8	UNIVERSITY INSTITUTE OF TECHNOLOGY RGPV, SHIVPURI (2020)	CE	60
		CSE	60
		ELECT ELEX	60
		MECH	60
9	University Institute of Technology, Jhabua (Constituent College of RGPV)* (2015)	CSE	60
		MECH	60
10	University Institute of Technology, Shahdol (Constituent College of RGPV)* (2015)	MECH	60
		MINING	60

NOTE: ADDITION/DELETION OF INSTITUTIONS AND INTAKE CAPACITY MAY TAKE PLACE AT THE TIME OF COUNSELING AS PER THE APPROVAL OF AICTE

Branch List

AEIE - Applied Electronics & Instrumentation	CEng - Computer Engineering	CST - Computer Science and Technology	INOT - INTERNET OF THINGS(IOT)
AERONAUTICAL - AERONAUTICAL	CERE - Civil & Rural Engg.	CYSEC - CYBER SECURITY	IOT - INTERNET OF THINGS
AG - AGRICULTURAL ENGINEERING	CHEM - Chemical Engineering	DAG - 3D ANIMATION & GRAPHICS	IP - Industrial & Production Engineering
AGE - AGRICULTURE ENGINEERING	COMP - Computer	DS - DATA SCIENCE	IT - Information Technology
AGRITECH - Agri. Tech.	CSBS - COMPUTER SCIENCE AND BUSINESS SYSTEM	EC - Electronics and Communication Engineering	ITAIAR - INFORMATION TECHNOLOGY(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ROBOTICS)
AI - ARTIFICIAL INTELLIGENCE	CSD - Computer Science and Design	ECS - ELECTRONICS AND COMPUTER SCIENCE	ITIOT - INFORMATION TECHNOLOGY (INTERNET OF THINGS(IOT))
AIADS - ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE	CSE - Computer Science and Engineering	EE - Electrical Engineering	MAC - MATHEMATICS AND COMPUTING
AIAIDS - Artificial Intelligence (AI) and Data Science	CSEAI - COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE)	EEIOT - ELECTRICAL ENGINEERING (INTERNET OF THINGS)	MAE - MECHANICAL AND AUTOMATION ENGINEERING

AIML - ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING	CSEAIADS - COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE)	EI - Electronics & Instrumentation	MECH - Mechanical Engineering
AIR - ROBOTICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE	CSEAIADS - COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING (With Spl in Artificial Intelligence & Data Science)	EL - Electronics	MINING - MINING Eng
ARE - AUTOMATION AND ROBOTICS	CSEBC - COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (BLOCK CHAIN)	ELECT ELEX - Electrical & Electronics Engineering	MMP - MINING AND MINERAL PROCESSING
AUTO - Automobile Engineering	CSECS - COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING(CYBER SECURITY)	Electronics and Telecommunications - Electronics and Telecommunications	MTENG - MECHATRONICS ENGINEERING
BEIL - Biomedical Engineering (Indian Language-Hindi)	CSEDS - COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING(DATA SCIENCE)	ET - Electronics & Telecommunication	PCE - PCE
BM - Bio-Medical Engineering	CSEIL - Computer Science and Engineering-Indian language (Hindi)	EV - ELECTRIC VEHICLES	PCT - Petrochemical Technology
BRE - BIOMEDICAL AND ROBOTIC ENGINEERING	CSEIML - COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING)	EX - Electronics	PRODUCTION - PRODUCTION Engg
BT - Bio-Technology	CSEITCS - COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING(INTERNET OF THINGS AND CYBER SECURITY INCLUDING BLOCK CHAIN TECHNOLOGY)	FOOD - Food Technology	RAM - ROBOTICS AND MECHATRONICS
CA - CONSTRUCTION AUTOMATION	CSERC - Computer Science & Engineering (Regional Courses-Hindi)	FTS - Fire Tech & Safety	SFE - Safety and Fire Engineering
CE - Civil Engineering	CSIT - Computer Science and Information Technology	IEM - Industrial Engineering and Management	TX - Textile Technology

NOTE: ADDITION/DELETION OF INSTITUTIONS AND INTAKE CAPACITY MAY TAKE PLACE AT THE TIME OF COUNSELING AS PER THE APPROVAL OF AICTE